राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3083/2018

रामेश्वरी कुमारी पुत्री श्री दुर्गा राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी खरड़, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाडमेर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अपने सचिव, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

<u>साथ जुड़े</u>

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3016 / 2018

दरिया कुमारी पुत्री श्री हरदाना राम मेघवाल, पत्नी श्री हेमन्त कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, जाति- मेघवाल, निवासी 84, ए ब्लॉक, रामदेव कॉलोनी, तहसील- जालोर, जिला- जालोर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।
2. राजस्थान सरकार सचिव, निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3107/2018

1. मूला राम पुत्र श्री चेतन राम, उम्र लगभग 22 वर्ष, जाति जाट, निवासी गांव व पोस्ट डांडांली, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।

2. हीरा राम पुत्र श्री अंडा राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति सुथार, निवासी गांव व पोस्ट डांडांली, तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर।

3. गिरधारी लाल पुत्र श्री खेता राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, जाति नाई, निवासी ग्राम व पोस्ट डोंगरी, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3140 / 2018

भुंदा राम पुत्र मोहन लाल, उम्र लगभग 39 वर्ष, पिता प्रजापत, निवासी ग्राम खुंटलिया, पोस्ट हरियाडा, तहसील बिलाड़ा, जिला। जोधपुर (राजस्थान) (रोल संख्या 842664)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (राजस्थान)

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राजस्थान)

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3240 / 2018

1. भरत कुमार पुत्र श्री अचलाराम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम झाड़ोली, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही (राजस्थान)।

2. निशा रानी गुर्जर पुत्री श्री महेंद्र कुमार घभाई, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट केमरी, तहसील नादोती, जिला करोली (राजस्थान)।

3. मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री राधाश्याम शर्मा, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट खेमावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)।

4. राजेंद्र प्रसाद बैरवा पुत्र श्री नारायण बैरवा, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम लखनपुर, पोस्ट चौंडियावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)।

5. रजनीश गोदारा पुत्र श्री मनफूल गोदारा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट काकड़वाला, तहसील लूणकरनसर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

6. विजेन्द्र पुनिया पुत्र श्री समदरराम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम खुडेरा छोटा, पोस्ट खुडेरा बड़ा, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।

7. जंडेल सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट तरसूमा, तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

8. राजीराम सांसी पुत्र श्री कृष्ण राम सांसी, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम केसर देसर, पोस्ट खोंडा, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

9. लोकेश मीना पुत्र श्री हेमराज मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम मुंडली, पोस्ट रायताल, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राजस्थान)।

10. मनमोहन सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी दनवाड़ा, तहसील बावरी, जिला जोधपुर (राजस्थान)।

11. नवोदिता कुमारी पुत्री श्री परसुराम गुर्जर, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम झालाटाला, पोस्ट मोलोनी, तहसील बेर, जिला भरतपुर (राजस्थान)।

12. सुनीता शर्मा पुत्री श्री राजकुमार शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम भूरीभदाज, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान)।

13. रोशनी पुत्री श्री जगदीश गर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मसीतावाली, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

14. भंवर लाल पुत्र श्री तिलोकाराम, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम नांदोली मेंदतिया, तहसील मकराना, जिला नागौर (राजस्थान)।

15. रामप्रताप पुत्र श्री हरिराम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी ग्राम रन्यावली, जिला गंगानगर (राजस्थान)।

16. राकेश शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट रुजियाबाड़ावास, तहसील बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

17. राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पृथ्वीराज, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम रामपुरा न्यौला, तहसील सूरतगढ़, जिला गंगानगर (राजस्थान)।

18. उमेश कुमार चौधरी पुत्र श्री प्रेमचन्द्र चौधरी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम रामसागर, पोस्ट नगर किला, तहसील दूनी, जिला टोंक (राजस्थान)।

19. जयनारायण उपाध्याय पुत्र श्री भगवानाराम उपाध्याय, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गजनेर रोड, चुंगी नाका के पास, भेरूजी मंदिर, बीकानेर, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

20. पन्नाराम पुत्र श्री रूपा राम, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी अहोनी बेनीवाली की ढाणी, माधासर, पंचायत समिति बायतु, जिला बाडमेर (राजस्थान)।

21. दलजीत सिंह पुत्र श्री रमेश गुर्जर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़ला जनेदपुर, तहसील वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

22. गोपी चंद पुत्र श्री महेंद्र कुमार पारीक, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम गदाना, पोस्ट पोस्ट गंजुवास, तहसील तारानगर, जिला चूरू (राजस्थान)।

23. प्रीतम सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 73 एलएनपी, पोस्ट रतनपुरा, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर (राजस्थान)।

24. घनश्याम दान रत्नू पुत्र श्री सीताराम, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट दासोड़ी, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

25. प्रहलाद कुमावत पुत्र श्री शंकरलाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट देसलसर, तहसील नोखा, जिला बीकानेर (राजस्थान)।

26. नरेश मीना पुत्र श्री रामलाल मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट दाई, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राजस्थान)।

27. अनीशा शेख पुत्री श्री यासीन खान, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी 45, कैनाल ब्लॉक, मोती पैलेस के पास, चांद कंगन स्टोर, कोड़ा चौक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

(राजस्थान)।

28. मनीष कुमार पुत्र पूरणचंद, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट कलियान, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

29. शिवप्रकाश पुत्र श्री राजाराम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी सेक्टर संख्या 12 हनुमानगढ़ जंक्शन (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।

2. सभी प्रभावित चयनित अभ्यर्थी सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर (राजस्थान) के माध्यम से।

3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (राजस्थान)।

4. राजस्थान सरकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3304 / 2018

पवन कुमार पारीक पुत्र श्री छगन लाल पारीक, उम्र लगभग 28 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी राजलदेसर, तहसील-रतनगढ़, जिला चूरू (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।

2. राजस्थान सरकार के माध्यम से, निदेशक (माध्यमिक), शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3325 / 2018

भरत कुमार पुत्र श्री कोदर जी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट अखेपनजी का

गारा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3484 / 2018

मनभावना पुत्री जग राम बिश्नोई, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट वाडा भाडवी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके सचिव के माध्यम से, अजमेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3505 / 2018

सूरज कंवर चुंडावत पुत्री श्री गिरधारी सिंह चुंडावत, उम्र लगभग 28 वर्ष, बाईकास्ट चुंडावत, निवासी एफ-337, न्यू बापू नगर, भीलवाड़ा (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, इसके सचिव के माध्यम से।

2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3732 / 2018

सोनम चौधरी पुत्री श्री बलवंत सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 17, शिव मंदिर के पास, अनूपगढ़, जिला। श्री गंगानगर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सचिव, अजमेर।

3. उप सचिव, आरपीएससी, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3733 / 2018

बागा राम पुत्र श्री मल्ला राम, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी दबलिया विशनावल, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सचिव, अजमेर।

3. उप सचिव, आरपीएससी, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3806 / 2018

पूना राम पुत्र पुरखा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी शिवपुरा, रायधनु जिला, नागौर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार के माध्यम से- सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) हालांकि इसके सचिव, अजमेर, राजस्थान।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3817 / 2018

1. अमर राम पुत्र श्री पोकर राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम मोटानिया नगर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. उमा कंवर देवड़ा पुत्री श्री धन सिंह देवड़ा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सनीसर जी की गली, ग्राम- पोस्ट खिवांदी, तहसील सुमेरपुर, पाली, राजस्थान।

3. रोहिणी सोलंकिया पुत्री श्री जीवन नाथ सोलंकिया, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 11, शिव गौरक्षा सदन, पाल शिप ग्राम के पास, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

4. इंदिरा पुत्री श्री नानक राम, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 244, रूप नगर- II, साईं धाम मंदिर के पीछे, पाल रोड, जोधपुर, राजस्थान।

5. अंजू राजपुरोहित पुत्री श्री चंद्र शेखर राजपुरोहित, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 173, अज्जेट कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से, सचिव, अजमेर।

3. उप सचिव, आरपीएससी, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3854 / 2018

1. चंपा लाल पालीवाल पुत्र श्री लीला धर पालीवाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम होपार्डी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, राजस्थान।

2. सोनू शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम, निवासी वीपीओ फरसेवाला, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3980 / 2018

कृष्ण गोपाल पुत्र प्रकाश चंद, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड संख्या 4, चांदनी चौक, गली संख्या 1, पुरानी आबादी, श्री गंगानगर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार शिक्षा सचिव, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके सचिव, अजमेर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 4284 / 2018

ममता सोलंकी पुत्री श्री रामचन्द्र सोलंकी, उम्र लगभग 36 वर्ष, जाति- सोलंकी, निवासी 59, मालवीर नगर, भीनमाल, जिला- जालौर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।

2. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 4390 / 2018

बजरंग राम

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य एवं अन्य

----प्रत्यर्थी

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 5041/ 2018

सुनील पुत्र श्री बाबू लाल, जाति बिश्नोई, उम्र 25 वर्ष, निवासी पोस्ट फिटकासनी, वि/पी सारण नगर, तहसील व जिला जोधपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर अपने सचिव के माध्यम से।

----प्रत्यर्थी

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 4170/ 2018

महेंद्र सिंह चौहान पुत्र भेरू सिंह चौहान, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता राजपूत, निवासी नई बस्ती कुंहली , पोस्ट- कराकला, तहसील सलूम्बर, जिला उदयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से राजस्थान सरकार।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थी

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 3622 / 2018

महेश कुमार रेगर पुत्र स्व. रामस्वरूप रेगर, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी संगरिया, तहसील फूलिया कल्लन, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर अपने सचिव, अजमेर के माध्यम से।

2. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 5082 / 2018

अरविन्द कुमार साल्वी पुत्र श्री नागेन्द्र कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वर्षवी बस्ती, भांडा, उदयपुर, जिला उदयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।

----प्रत्यर्थीगण

एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 4789 / 2018

हिम्मत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम निम्बेरा कल्लन, वाया कुशालपुर, तहसील रायपुर, जिला पाली, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान सरकार सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान

----प्रत्यर्थीगण

<u>रिपोर्टेबल</u>

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री पी.आर.मेहता, श्री कैलाश जांगिड़, श्री भरत देवासी, श्री एच.आर. विश्नोई, श्री कान सिंह ओड, श्री त्रिभुवन सिंह, श्री मनोज पारीक, श्री महेंद्र विश्नोई, श्री एम.एस. गोदारा, श्री कुलदीप माथुर के साथ श्री विनोद चौधरी, श्री रवि पंवार, श्री वी.एन. कल्ला, श्री रोशन लाल और श्री आर.एस.कुम्पावत

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री तरूण जोशी ने श्री खेत सिंह की सहायता की और आरपीएससी के लिए श्री विकास जोशी

श्री राजेंद्र सिंह के लिए श्री बी.एल. भाटी, जी.सी

माननीय न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी

<u>निर्णय</u>

<u>आदेश सुरक्षित करने की तारीख</u> **<u>16/04/2018</u>**

<u>आदेश उच्चारित करने की तारीख</u> **<u>05/05/2018</u>**

1. प्रत्यर्थी-राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और प्रत्यर्थीगण द्वारा परिणामी योग्यता के

निर्धारण से अनंतिम चयन सूची जारी होने से परेशान 'आयोग/प्रत्यर्थी-आयोग' के रूप में, विज्ञापन दिनांक 13.07.2016 द्वारा, राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के तहत वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 2016 आयोजित करके विभिन्न विषयों में वरिष्ठ अध्यापकों के पद पर भर्ती के लिए, ये रिट याचिकाएँ कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने उक्त भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया है।

2. चुनौती में उल्लेखनीय समानता और सभी भौतिक विवरणों में प्रासंगिक तथ्यों की पर्याप्त समानता, यहां दावा की गई राहतों के साथ मिलकर, वर्तमान रिट याचिकाओं के समान निर्णय की अनुमति देती है। इसलिए, महाभियोग की समानता के प्रकाश में, जैसा कि इन रिट याचिकाओं में दर्शाया गया है, उन्हें समान रूप से सुना गया है और यह सामान्य निर्णय देगा, ताकि वर्तमान विवाद को समाप्त किया जा सके।

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इन रिट याचिकाओं में कुल मिलाकर निम्नलिखित राहतों का दावा किया गया है:

> *1. उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिए संशोधित उत्तर-कुंजी दिनांक 03.02.2018 और 06.02.2018 (अनुलग्नक-7) और परिणाम दिनांक 06.02.2018 (अनुलग्नक.8) जारी किया जाए। विज्ञापन दिनांक 13.07.2016 (अनुलग्नक-2) के अनुसरण में अपास्त कर दिया गया।*
>
> *2. उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रत्यर्थीगण को दिनांक 13.07.2016 के विज्ञापन के अनुसरण में प्रामाणिक पुस्तकों के अनुसार याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नों/आपत्तियों पर विचार करते हुए वरिष्ठ अध्यापक (सामाजिक विज्ञान) पद के लिए नए सिरे से विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उत्तर-कुंजी जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है।*
>
> *3. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रत्यर्थीगण को पेपर- I के उपरोक्त उद्धृत प्रश्नों के लिए संशोधित उत्तर-कुंजी में आवश्यक सुधार करते हुए आगे की चयन प्रक्रिया के लिए पूरी योग्यता सूची/परिणाम को फिर से निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। विज्ञापन दिनांक 13.07.2016 के अनुसरण में वरिष्ठ शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिए सामान्य ज्ञान और पेपर- II अर्थात सामाजिक विज्ञान।*

4. एक उचित रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादी को कृपया निर्देश दिया जा सकता है कि वे याचिकाकर्ताओं को उनके सही उत्तर के लिए पेपर-I अर्थात सामान्य ज्ञान और पेपर-II अर्थात सामाजिक विज्ञान में वरिष्ठ शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) के पद के लिए ऊपर उद्धृत प्रश्न के उनके प्रामाणिक प्रमाणों के अनुसार दिनांकित 13.07.2016 विज्ञापन के अनुसरण में वास्तविक अंक देने का निर्देश दिए जाए।

5. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, प्रतिवादी को कृपया निर्देश दिया जा सकता है कि वे याचिकाकर्ताओं को आगे के चयन में अनुमति दें और विज्ञापन दिनांकित 13.07.2016 में सभी परिणामी लाभों के साथ अपनी संबंधित श्रेणी में वरिष्ठ शिक्षक (सामाजिक विज्ञान) के पद पर नियुक्ति प्रदान करें, यदि वे संशोधित योग्यता में चुने गए पाए जाते हैं।

6. कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे, कृपया याचिकाकर्तागण के पक्ष में पारित किया जाए।

7. याचिकाकर्तागण द्वारा दायर रिट याचिका को लागत सहित अनुमति दी जाए।"

4. चूंकि, प्रतिद्वंद्वी संस्करणों द्वारा चित्रित और वास्तविक समझे गए तथ्यों का कंकाल विवरण एक संकीर्ण दायरे में है, और दोहराने के लिए, वर्तमान रिट याचिकाओं और तर्कों के दौरान मामूली अंतर वाले तथ्यों पर कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए कोई चिह्नित विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डाला गया है, इसलिए प्रस्तुत तथ्यों को, वर्तमान निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सामूहिक रूप से कुछ याचिकाओं की दलीलों से जाएगा।

5. शुरुआत करने के लिए, प्रत्यर्थी-आयोग ने विभिन्न विषयों में वरिष्ठ शिक्षक के पदों के लिए दिनांक 13.07.2016 को एक विज्ञापन जारी किया। आयोग ने, उस उद्देश्य के लिए, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1971 के अनुसार, संबंधित पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

6. याचिकाकर्तागण ने पात्र होने और अपेक्षित योग्यता रखने के कारण, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर अपनी संबंधित श्रेणियों में उक्त पद के लिए आवेदन किया था। इसके बाद, संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए। इसके बाद, याचिकाकर्ता शेड्यूल के अनुसार, प्रत्यर्थीगण द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षाओं में उपस्थित हुए।

7. प्रश्नगत परीक्षा में शामिल विभिन्न पेपरों में से, **वर्तमान विवाद पेपर- I (सामान्य ज्ञान- I) और पेपर II (विषय पेपर-संस्कृत, हिंदी) और पेपर से संबंधित है; पेपर- I (सामान्य ज्ञान- II और पेपर- II (विषय पेपर सामाजिक विज्ञान), में है।**

8. प्रत्यर्थीगण ने पहले 21.08.2017 को सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए और 30.08.2017 को सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के पेपर के लिए और 01.09.2017 को हिंदी के पेपर के लिए उत्तर-कुंजी जारी की थी, जिसमें सभी के उत्तर दिए गए थे और संबंधित विषयों में प्रश्नों का उल्लेख किया गया है।

9. इसके बाद, 21.08.2017 को आयोग ने अपनी वेबसाइट पर आयोग द्वारा अपलोड की गई उत्तर-कुंजी दिनांक 21.08.2017 से संबंधित एक प्रेस नोट भी जारी किया, जिसके तहत संबंधित उम्मीदवारों से आपत्तियां आमंत्रित की गईं, जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे। 26.04.2017 एवं 01.05.2017 को सामान्य ज्ञान पेपर - I; उक्त प्रेस नोट के अनुसार, उक्त आपत्तियाँ 23.08.2017 से 25.08.2017 तक प्रस्तुत की जानी थीं। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई उत्तर-कुंजी दिनांक 30.08.2017 के संबंध में आयोग द्वारा 30.08.2017 को एक और प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके तहत 30.06.2017, 01.07.2017 और 02.07.2017 संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में; उक्त प्रेस नोट के अनुसार, उक्त आपत्तियाँ 31.08.2017 से 02.09.2017 तक प्रस्तुत की जानी थीं।

10. दिनांक 21.08.2017 और 30.08.2017 के उपरोक्त प्रेस नोट इस प्रकार हैं:-

"राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

-: प्रेस -नोट:-

दिनांक 21.08.2017

आयोग द्वारा दिनांक 26.04.2017 व 01.05.2017 को आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2016 के प्रथम प्ररश्न पत्र सामान्य ज्ञान की उत्तरकुंजियां आयोग की

वेबसाईट पर दिनांक 21.08.2017 को जारी कर दी गयी है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर-कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 23.08.2017 से दिनांक 25.08.2017 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन आयोग की वेबसाईट पर दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रश्न-पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक ¼Standard Authentic½ पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन संलग्न करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियां पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रू 100/- निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपना आवेदन आईडी, जन्म तिथि तथा आयोग में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से आयोग के पोर्टल पर लागिन कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रू.100/- के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से करवाकर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियां केवल आॅनलाईन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक दिनांक 23.08.2017 से दिनांक 25.08.2017 को रात्रि 12:00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाईन आपत्तियों के लिए पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in/examobjection या लिंक rpsc.rajasthan.gov.in पर भी उलपब्ध हैं।

(भगवत सिंह राठौड)

सचिव"

"राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

-:प्रेस -नोट:-

दिनांक 30.08.2017

आयोग द्वारा दिनांक 30.06.2017, 02.07.2017 को आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान परीक्षा 2016 के प्रश्न-पत्रों की उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 30.08.2017 को जारी कर दी गयी है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर-कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 31.08.2017 से दिनांक 02.09.2017 को रात्रि 12:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाईन आयोग की वेबसाईट पर दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रश्न-पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। इस परीक्षा के प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक ¼Standard Authentic½ पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाईन संलग्न करें। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क रू 100/- निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपनी एप्लीकेशन आईडी जन्म तिथि तथा आयोग में रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से आयोग के पोर्टल पर लागिन कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क रू.100/- के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क का भुगतान ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के माध्यम से करवाकर आपत्तियों को स्थाई रूप से दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जावेंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाईन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाईन आपत्तियों का लिंक दिनांक 31.08.2017 से दिनांक 02.09.2017 को रात्रि 12:00 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ऑनलाईन आपत्तियों के लिए पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in/examobjection या लिंक rpsc.rajasthan.gov.in पर भी उलपब्ध हैं, को अभ्यर्थी क्लिक करे।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)

सचिव"

11. विज्ञापन वर्ष, 2016 के अनुसार, वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए परिणाम घोषित

होने से पहले, उपरोक्त प्रेस नोट के अनुसरण में, गलत प्रश्नों और उनके गलत उत्तरों के संबंध में कई उम्मीदवारों द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं।

12. उपरोक्त प्रक्रिया करने के बाद, आयोग ने सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए दिनांक 03.02.2018 और 08.02.2018 को फिर से संशोधित उत्तर-कुंजी जारी की; 06.02.2018 को सामाजिक विज्ञान विषय के लिए; 14.02.2018 को संस्कृत विषय के लिए और; 15.02.2018 को हिंदी विषय के लिए, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए थे। हालाँकि, याचिकाकर्तागण ने पाया कि प्रश्नों के उत्तरों की संख्या गलत थी, जबकि कुछ प्रश्न हटा दिए गए थे। आयोग ने, जैसाकि ऊपर बताया गया है, संशोधित उत्तर-कुंजी जारी करने के बाद, उससे संबंधित आपत्तियां आमंत्रित नहीं की हैं और संबंधित पद के लिए अनंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिससे याचिकाकर्ता संशोधित उत्तर-कुंजी के संबंध में अपनी आपत्तियां करने से वंचित हो गए हैं।

13. विवाद का निर्णय करते समय, इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि यह न्यायालय विशेषज्ञों की राय से ऊपर, केवल उन उम्मीदवारों को निर्णय की छूट दे रहा है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे और निमंत्रण के बदले में अपनी उचित आपत्तियाँ दर्ज की थीं। प्रत्यर्थीगण द्वारा मांगी गई आपत्तियां। यह न्यायालय यह भी स्पष्ट कर रहा है कि यह न्यायालय किसी भी आपत्ति का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, जो परिणाम घोषित होने से पहले उम्मीदवारों को उपरोक्त अवसर दिए जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई थी।

14. परिणामों की घोषणा के बाद, जैसाकि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्तागण ने उपरोक्त संशोधित उत्तर-कुंजी से संबंधित आपत्तियों और आयोग द्वारा कुछ प्रश्नों को हटाने के संबंध में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए फिर से प्रत्यर्थीगण से संपर्क किया है, लेकिन प्रत्यर्थीगण द्वारा इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। तत्संबंधी.

15. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थीगण को प्रश्नगत परीक्षा आयोजित करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था, जो सार्वजनिक रोजगार से संबंधित था, और इस प्रकार, घोषणा करने से पहले पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। परिणाम, और योग्यता के उचित मूल्यांकन के उद्देश्य से, प्रत्यर्थीगण को संबंधित विषयों की प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों से परामर्श लेना चाहिए था, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया है।

16. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्तागण ने अच्छे

अंक हासिल किए हैं और अपनी-अपनी श्रेणियों में कट ऑफ अंकों में भी जगह बनाई है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं के लिए याचिकाकर्तागण की योग्यता पर प्रश्न उठाया गया है। अन्य उम्मीदवारों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है।

17. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि कुछ प्रश्नों को गलत प्रश्न मानते हुए हटाने का निर्णय लेते समय, जो प्रश्नपत्रों का हिस्सा बन रहे थे, इसका लाभ वर्तमान याचिकाकर्तागण सहित संबंधित उम्मीदवारों को नहीं दिया गया था। जिन्होंने ऐसे प्रश्नों के सही उत्तर चुने हैं, जिससे ऐसे उम्मीदवार मेरिट सूची से बाहर हो गए हैं, और इस प्रकार, उनकी ओर से कोई गलती न होने पर, उन्हें भुगतना पड़ा है। इसलिए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, प्रत्यर्थीगण ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके पूरी चयन प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाया है, जो पूरी तरह से योग्य होने और नियुक्त होने के योग्य होने के कारण संबंधित पद पर भर्ती की इच्छा रखते हैं। उक्त पोस्ट.

18. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि एक गलत मॉडल उत्तर-कुंजी जारी करके , प्रत्यर्थी-आयोग ने उन अंकों की गलत गणना की है, जो उक्त परीक्षा के दिशानिर्देशों के अनुसार, नकारात्मक अंक देने के लिए उचित मानदंड के रूप में दिए जाने थे। , का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार, परीक्षा में उक्त अनियमितता, याचिकाकर्तागण को योग्यता सूची में उनके उचित स्थान से वंचित करने के साथ-साथ प्रश्नगत पद पर उनकी परिणामी नियुक्ति से भी वंचित कर दी गई है।

19. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि एक बार जब प्रत्यर्थीगण को पहले जारी की गई उत्तर-कुंजी और विशेषज्ञ रिपोर्ट के संबंध में संबंधित उम्मीदवारों द्वारा संबंधित उम्मीदवारों द्वारा, उनके द्वारा चुने गए उत्तरों के समर्थन में प्रामाणिक प्रमाण के साथ नई आपत्तियां दी गईं, तो प्रत्यर्थीगण को प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर पुनर्विचार करने का दायित्व था।

20. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है कि आयोग द्वारा जारी संशोधित अंतिम उत्तर-कुंजी गलत या हटाए गए प्रश्नों से संबंधित गलत विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, क्योंकि उक्त उत्तर-कुंजी आधिकारिक डेटा पर आधारित नहीं है। संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा समर्थित प्रामाणिक प्रमाणों के विपरीत, जैसाकि याचिकाकर्तागण ने प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी की गई पिछली उत्तर-कुंजी पर

अपनी आपत्तियों के साथ प्रस्तुत किया था।

21. अपनी दलीलों को सुदृढ़ करने के लिए, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने ***मैसर्स उत्कर्ष क्लासेज बनाम. राजस्थान सरकार एवं अन्य (खंडपीठसिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 12720/2011 पर 25.10.2012 को निर्णय लिया गया),*** में इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती कानून पर भरोसा किया है, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया: -

"सुना गया।

प्रत्यर्थीगण के खिलाफ जनहित में दायर रिट याचिका में, उन्हें परीक्षा समाप्त होते ही उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र और ओएमआर शीट उपलब्ध कराने और परीक्षा से 7 दिनों की अवधि के भीतर उत्तर-कुंजी का प्रकटन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा की तिथि. चयन प्रक्रिया शुरू होने के समय पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए रिट आवेदन में भी प्रार्थना की गई है।

आरपीएससी द्वारा दायर उत्तर में कहा गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा आयोजित प्रत्येक भर्ती में, उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है और वास्तव में, उन्हें परीक्षा के बाद प्रश्न-पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति होती है। ऐसे में प्रश्नपत्रों की आपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता. इसके अलावा, पूरा पाठ्यक्रम आमतौर पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने के समय वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। कुछ मामलों में, जहां विज्ञापन की तारीख पर पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वहां परीक्षा के आयोजन के उचित समय से पहले अगली तारीख पर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। आगे कहा गया है कि ***केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य [(2011) 8 एससीसी 497]*** *में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, आरपीएससी ने 28.06.2012 को एक बैठक आयोजित की जिसमें उसने परिणाम घोषित करने से पहले अपनी वेबसाइट पर एक मॉडल उत्तर-कुंजी घोषित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नों की सत्यता और उनके संबंधित उत्तरों के संबंध में किसी भी*

अस्पष्टता को नकारने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुकदमेबाजी से बचने के लिए लिया गया है ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपने प्रदर्श का मूल्यांकन कर सकें और न्यायालय पर याचिकाओं का बोझ न पड़े।

आरपीएससी के रुख को देखते हुए, विद्वान अधिवक्ता डॉ.पी.एस.भाटी ने कहा कि आरपीएससी के खिलाफ राहत संतुष्ट है। हालाँकि, अन्य परीक्षाएँ अन्य प्रत्यर्थीगण द्वारा भी आयोजित की जा रही हैं। वे भी उसी प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

श्री आई.एस. अन्य प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पारीक ने यह भी प्रस्तुत किया है कि वे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय और किसी भी मामले में, परीक्षा आयोजित करने से पहले उचित समय में पाठ्यक्रम प्रकाशित करेंगे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे मामले में जहां प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, वे प्रश्न-पत्र की आपूर्ति करेंगे और वे प्रश्न-पत्रों को वेबसाइट पर डालेंगे और साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के मॉडल मुख्य उत्तर प्रकाशित करेंगे, जैसाकि आरपीएससी. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है।

प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों के मद्देनजर, यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में, प्रत्यर्थीगण को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के समय पाठ्यक्रम की आपूर्ति करनी होगी और यदि वे हैं, तो प्रश्न-पत्र भी वेबसाइट पर डालेंगे। उम्मीदवारों को अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के मॉडल कुंजी उत्तर, यदि कोई हों, परिणाम की घोषणा से पहले या उसके समय अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे।

रिट आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

22. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने, अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए, ***राजस्थान सरकार बनाम है। कमलेश कुमार शर्मा एवं अन्य (खंडपीठसिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 698/2013 पर 25.10.2013 को निर्णय लिया गया),*** जयपुर बेंच में

इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती कानून पर भी भरोसा किया जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

45. उपरोक्त कारणों और चर्चाओं के साथ-साथ स्वीकृत तथ्यों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आलोक में, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रत्यर्थी - आरपीएससी, चयन प्रक्रिया में शुद्धता और पारदर्शिता बनाए रखने में विफल रहा। विवाद और यह सुनिश्चित करने में भी विफल रही कि शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा आयोजित करते समय प्रश्नों/उत्तर-कुंजी में त्रुटियों के कारण किसी भी अयोग्य उम्मीदवार को रिट याचिकाकर्तागण सहित योग्य उम्मीदवारों पर लाभ नहीं मिला। इसके अलावा, प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने प्रश्नों को हटाने के मद्देनजर चयनित 502 उम्मीदवारों के प्रारंभिक परिणाम को दो बार घोषित करते हुए संशोधित नहीं करने में अवैधता की। प्रत्यर्थी-आरपीएससी ने प्रारंभिक परिणाम में सफल घोषित 502 उम्मीदवारों के परिणाम को संशोधित नहीं करने का निर्णय लिया है, यहां तक कि अधिक प्रश्नों को हटाने के बाद भी, जो चयन के लिए एकमात्र मानदंड साक्षात्कार के लिए पात्र बनने वाले उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

46. हम इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रारंभिक परिणाम में सफल पाए गए 502 उम्मीदवारों ने नियुक्ति का कोई अपरिहार्य अधिकार हासिल नहीं किया है और माननीय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में स्थापित स्थिति को देखते हुए यह विधिक स्थिति अब एकीकृत नहीं है। उच्चतम न्यायलय। हम माननीय द्वारा व्यक्त विचारों के अनुरूप, 1978 के नियमों में साक्षात्कार के साथ चयन की प्रक्रिया में एक आवश्यक घटक के रूप में लिखित परीक्षा के तत्व को शामिल करने के लिए विद्वान एकलपीठ की टिप्पणियों से भी सहमत हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने निर्णयों की एक शृंखला जारी की। जब गंभीर संदेह पैदा हो जाता है और उसे बने रहने दिया जाता है, तो चारों ओर अफवाहें फैल जाती हैं, जो न तो उम्मीदवारों के लिए और न ही प्रक्रिया में शामिल प्रशासन के लिए फायदेमंद होती हैं।

47. हमें सूचित किया गया है कि विद्वान एकलपीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कोई अंतिम योग्यता सूची तैयार और प्रकाशित नहीं की गई है। हमें यह भी सूचित किया गया है कि विवादग्रस्त चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि चयन प्रक्रिया की शुचिता, औचित्य और महत्व प्रदूषित हो गया है

और साथ ही अयोग्य उम्मीदवारों को रिट याचिकाकर्तागण सहित योग्य उम्मीदवारों की कीमत पर लाभ मिला है। इसलिए, मामले के प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों में; विज्ञापन दिनांक के उत्तर में प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा एपीपी ग्रेड के पद पर नियुक्ति हेतु 26 मई 2011 II, कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है और इसलिए, 2 फरवरी 2013 की विवादित चयन सूची को अपास्त करने में विद्वान एकलपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को गलत नहीं ठहराया जा सकता है (अनुलग्नक- 5, 2013 की रिट याचिका संख्या 2142 से जुड़ा हुआ है)।

48. रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। विविध. आवेदन संख्या 528/2013 और 561/2013 में देरी की माफी की मांग आवेदन में वर्णित कारणों के आधार पर स्वीकार की जाती है। खंडपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 638/2013 को इसी मुद्दे पर पारित निर्णय और आदेश के मद्देनजर बंद किया जाता है।

49. परिणामस्वरूप, अंतर-न्यायालय अपीलों पर निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है:

i) राजस्थान सरकार और प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा की गई अंतर-न्यायालय अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा अपास्त कर दी जाती है।

ii) रिट याचिकाकर्तागण द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपील की अनुमति दी जाती है और नियुक्ति के लिए दिनांक 26 मई 2011 के विज्ञापन के उत्तर में प्रत्यर्थी-आरपीएससी द्वारा 1 दिसंबर, 2011 को आयोजित स्क्रीनिंग/लिखित परीक्षा सहित पूरी चयन प्रक्रिया को अपास्त करने की अनुमति दी जाती है। एपीपी ग्रेड का पद II और साथ ही आक्षेपित चयन सूची दिनांक 2 फरवरी 2013 (अनुलग्नक - 5, 2013 की रिट याचिका संख्या 2142 के साथ संलग्न)।

iii) चयन की प्रक्रिया नए सिरे से आयोजित की जाएगी।

iv) स्थगन आवेदन बंद हो गए हैं।

v) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

23. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस माननीय न्यायालय की जयपुर पीठ में सचिव, ***राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम देवेश कुमार शर्मा (खंडपीठविशेष अपील रिट संख्या 648/2017 का निर्णय 03.05.2017 को हुआ),*** में खंडपीठ द्वारा निर्धारित पूर्ववर्ती कानून पर भी भरोसा जताया गया है, जिसका प्रासंगिक

भाग इस प्रकार है:

"7. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रस्तोगी से सुबह और अवकाश के बाद भी बात की।

7.1 आगे बढ़ने से पहले, यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि आरपीएससी की मुख्य उत्तर के लिए मामले को विशेषज्ञ समिति के पास भेजने की सामान्य आदत है और इस न्यायालय के बारे में हमारा थोड़ा अनुभव यह है कि अधिकतम सेवा वादी आरपीएससी है। विशेषज्ञ समिति को उत्तर-कुंजी भेजकर परीक्षा आयोजित करना। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आरपीएससी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची। जब प्रश्न बनता है तो उत्तर क्यों तय नहीं होता. देश में हर जगह, जब प्रश्न संदर्भित किया जाता है, तो उत्तर-कुंजी भी लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की जाती है। इसलिए, इस प्रथा को ही ख़ारिज किया जाना आवश्यक है जिसका पालन आरपीएससी द्वारा किया जाता है। यह वैधानिक रूप से कहां तक वैध है, इस पर अदालतों को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। दिन-ब-दिन, आरपीएससी इस न्यायालय के समक्ष है और विशेषज्ञ समिति को भेजे गए मुख्य उत्तर में प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। बार और बेंच के प्रत्येक सदस्य का यह अनुभव था कि आरपीएससी अपनी अनुमेय सीमा तक असंवैधानिक और मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है।

7.2 इस मामले में, अपीलार्थी के अधिवक्ता इस बात का बचाव करने की स्थिति में नहीं थे कि आरपीएससी उत्तर-कुंजी के प्रश्नों को विभिन्न विशेषज्ञ समिति को संदर्भित करते समय उच्चतम न्यायलय के निर्णय का कितना पालन कर रहा था और अब सुविधाजनक होने पर लाभ उठा रहा है। उन्हें।

7.3 हमारी सुविचारित राय में, हम ऐसी धोखाधड़ी में भागीदार नहीं बन सकते जो आने वाले समय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। एक बार इसे तीसरी विशेषज्ञ समिति के पास भेजने का निर्णय ले लिया जाता है, जब तक कि इसे सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा अपास्त नहीं कर दिया जाता है, तीसरी विशेषज्ञ समिति के निर्णय को वापस लेने और

विशेषज्ञ समिति I और II के निर्णय पर वापस जाने के लिए क्रॉस की आवश्यकता होगी। आरपीएससी द्वारा अनुमत सीमा।

7.4 हम, खंडपीठ के सदस्य के रूप में, आरपीएससी को अपनी सुविधा के नियम के अनुसार विशेषज्ञ समिति I और II के निर्णय पर वापस जाकर प्रश्न को तीसरी समिति को भेजने की अनुमति नहीं देंगे, हालांकि उन्होंने तीसरी समिति को संदर्भित किया है जिसने नहीं किया है आरपीएससी के फुल फोरम द्वारा अपास्त कर दिया गया।

*7.5 ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के मुकदमे में न्यायालय द्वारा किसी भी टिप्पणी से बचने के लिए जहां तीसरी विशेषज्ञ समिति के संबंध में निर्णय न्यायालय के समक्ष रखा गया था, उसने **लक्षेंद्र कुमार शर्मा बनाम आरपीएससी** (सुप्रा.), के मामले में पहले के निर्णय को स्पष्ट रूप से स्थापित किया था। कोर्ट ने पहले के मुख्य उत्तरों को मंजूरी नहीं दी है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, तीसरी विशेषज्ञ समिति की राय को पिछली दो विशेषज्ञ समितियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अदालतों को आरपीएससी को अपनी सुविधा के अनुसार गर्म और ठंडा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।*

*7.6 यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि लाखों बेरोजगार और गरीब व्यक्ति विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं और आरपीएससी की इस प्रथा ने कई लोगों का करियर बर्बाद कर दिया है। अब हम **नरेंद्र सिंह राठौड़ बनाम आरपीएससी** (सुप्रा.), मामले में खंडपीठ के निर्देश को देखते हुए आशा करते हैं कि प्रदेश और देश के युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है।*

7.7 मामले के उस दृष्टिकोण में, विद्वान एकलपीठ ने तीसरे दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया, हम उसे ही स्वीकार कर रहे हैं।

8. अपील गुणहीन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है और इसे अपास्त किया जाता है।

8.1 यहां तक कि 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) की लगाई गई लागत भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निचले स्तर पर है कि अधिकतम मुकदमेबाजी आरपीएससी की है और जनता को परेशानी हो रही है, इसलिए, विद्वान एकलपीठ द्वारा लगाई गई लागत है वास्तविक और विद्वान एकलपीठ के आदेश की पुष्टि की जाती है।"

24. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने ***देवेश कुमार शर्मा बनाम सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं अन्य (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4867/2017 दिनांक 25.04.2017 को निर्णय लिया गया),*** में जयपुर पीठ में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"इस न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से गलत या स्पष्ट रूप से गलत के मानक परीक्षण को लागू करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी चुनौतियों, विभिन्न रिट याचिकाओं को दूर करने के लिए प्रत्यर्थी आरपीएससी द्वारा गठित तीसरे पैनल ने स्वयं माना है कि विकल्प संख्या 1 और 2 दोनों सही हैं और प्रश्न ये भ्रमित करता है। इस प्रकार, प्रश्न क्रमांक 56 को विशेषज्ञ पैनल द्वारा भ्रामक बताया गया है, अत: उक्त प्रश्न स्पष्ट, स्पष्ट एवं असंदिग्ध नहीं है। ऐसा होने पर, इस न्यायालय के पास प्रश्न-पत्र से प्रश्न संख्या 56 को हटाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसलिए, एक निर्देश जारी किया जाता है कि उक्त प्रश्न संख्या 56 को हटा दिया जाएगा और प्रत्यर्थी आरपीएससी द्वारा संशोधित परिणाम तैयार और घोषित किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों की लंबे समय से चली आ रही शिकायत को समाप्त किया जा सके कि आरपीएससी उच्चतम मानक तक पेपर आयोजित करने में सक्षम नहीं है। .

आज तक, आरपीएससी ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए सौ से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की हैं। आज तक एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है, जहां इस कोर्ट या उच्चतम न्यायलय में चुनौती के कारण आरपीएससी ने परिणाम संशोधित न किया हो। कभी-कभी आरपीएससी को चार से अधिक बार परिणाम संशोधित करना पड़ता है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा मुकदमेबाजी के द्वार खोलती है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमेबाजी के विभिन्न दौर होते हैं। विशेषज्ञ पैनल द्वारा तैयार संशोधित परिणाम फिर से चुनौती का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप परिणाम में पुन: संशोधन करना पड़ता है। अदालत के लिए

खतरे की घंटी बजाने का समय आ गया है। जो लोग आरपीएससी में मामलों के शीर्ष पर हैं, उन्हें अब अपनी नींद से जागना चाहिए। उन्हें पेपर सेटर का चयन सावधानी से करना चाहिए। चयनित विशेषज्ञ प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों को पेपर सेटर या विशेषज्ञ के रूप में लाभ पहुंचाना हमेशा के लिए बंद होना चाहिए।

ऊपर वर्णित परिस्थितियों और कारणों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, 5 लाख रुपये की लागत के साथ रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। लागत एक माह के भीतर सचिव, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा की जाएगी, क्योंकि आरपीएससी के उदाहरण पर अनावश्यक अवांछित मुकदमेबाजी उत्पन्न हुई है, जिसके कारण कई रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। रिट याचिकाओं और उनसे उत्पन्न अपीलों पर निर्णय लेने में इस न्यायालय का बहुत समय और ऊर्जा बर्बाद हुई है, जिसे टाला जा सकता था, अगर आरपीएससी ने उच्चतम मानक सुनिश्चित किए होते।

25. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने ऋषभ सक्सेना बनाम ***राजस्थान सरकार (एकलपीठसिविल रिट याचिका संख्या 7040/2014 पर 26.06.2014 को निर्णय लिया गया),*** में जयपुर पीठ में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा जताया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

> *"हम इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हैं और यह निश्चित रूप से विशेषज्ञों द्वारा गहन जांच के लिए एक मुद्दा है, लेकिन जैसाकि ऊपर दिए गए अंशों से स्पष्ट है, विषय के विशेषज्ञों ने भी इक्विपरसेंटाइल फॉर्मूला/विधि को संदेह से मुक्त नहीं पाया है और इस पर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं। इक्विपरसेंटाइल फॉर्मूला लागू करने में विश्वविद्यालय का इरादा उम्मीदवारों के कठिनाई स्तर में अंतर को पूरा करना था और जो ऊपर चर्चा की गई है, वह स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। इसके अलावा, प्रश्नगत परीक्षा एमसीआई विनियमों के खंड-5 में निहित वैधानिक आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने वाले सामान्य मानकों पर आधारित होनी चाहिए, जो इस प्रतिस्पर्धी युग में आवश्यक है। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई विभिन्न सूचियाँ/चार्ट दर्शाते हैं कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा की*

तीव्रता इतनी अधिक थी कि लगभग हर दूसरे स्तर पर समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी। परीक्षा पत्रों की सेटिंग में बड़ी संख्या में दोषों और कमियों के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इक्विपरसेंटाइल फॉर्मूला अपनाने से उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन कर लिया गया है। वास्तव में, प्रतिस्पर्धा इतनी कड़ी है कि 0.001% के अंतर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता प्लेसमेंट में बहुत बदलाव हो सकता है। जब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली अखिल भारतीय पीएमटी परीक्षा-2014 ओएमआर शीट पद्धति अपनाकर एक ही प्रश्नपत्र के आधार पर आयोजित की जा सकती है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान परीक्षा एक साथ क्यों नहीं आयोजित की जा सकती? पेपर को मंजूरी देना मुश्किल है। जैसाकि विद्वान महाधिवक्ता ने सही तर्क दिया है, अब ऐसी परीक्षा आयोजित करना एमसीआई विनियम, 1997 के अनुरूप होगा और जब सरकार ने इन सभी कारकों पर विचार करने के बाद परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का सचेत निर्णय लिया है, तो उसके निर्णय को सही नहीं कहा जा सकता है। बिना किसी औचित्य के. इसलिए इस न्यायालय के पास सरकार के ऐसे निर्णय में गलती खोजने का कोई कारण नहीं है।

यह तर्क कि अन्य संगठनों/संस्थानों ने भी प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षा में इक्विपरसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया है, हमें कहीं नहीं ले जाता क्योंकि वर्तमान मामलों का निर्णय इस मामले के रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा/सामग्री के आधार पर किया जा रहा है, जिसके अनुसार सभी उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करने वाले सामान्य मानकों पर समान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इक्विपरसेंटाइल विधि उपयुक्त नहीं पाई गई है। डॉ. विजय पाल सिंह, सुप्रा. मामले में इस न्यायालय के उद्धृत एकलपीठ के निर्णय और डॉ. अनिल कुमावत, सुप्रा. के मामले में खंडपीठ के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए, तथ्यों पर अलग-अलग होने के कारण, वर्तमान के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है। उस मामले में, मुख्य परीक्षा में खराब

कंप्यूटरों से उत्पन्न आपात स्थिति के कारण परीक्षा अपास्त करने के विकल्प के रूप में एसईपी के माध्यम से समानीकरण के आवेदन को बरकरार रखा गया था। वे निर्णय सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करते हुए सामान्य मानकों पर अभ्यर्थी का एक समान मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्रों के आधार पर अलग-अलग परीक्षा आयोजित करने का न तो समर्थन करते हैं और न ही ऐसा कहा जा सकता है।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, 05.06.2014 को प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय द्वारा घोषित आरपीएमटी-2014 की परीक्षा की प्रक्रिया और उसके परिणाम को अवैध, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए, इसे अपास्त कर दिया गया है। नए सिरे से आरपीएमटी परीक्षा आयोजित करने का सरकार का निर्णय बरकरार रखा गया है। हालाँकि, प्रत्यर्थीगण को माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति के साथ पहले से ही प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर नई आरपीएमटी-2014 परीक्षा आयोजित करने की स्वतंत्रता है, ताकि वे अपने आधिपत्य द्वारा निर्धारित उक्त परीक्षा के कैलेंडर को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकें। रिट याचिका (सिविल) संख्या 737/2013 लिपिका गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में आदेश दिनांक 19.05.2014 में प्रवेश प्रक्रिया 30 सितंबर, 2014 तक पूरी करने के लिए कहा गया है।

तदनुसार, आरपीएमटी-2014 परीक्षा में असफल रहे याचिकाकर्तागण की रिट याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं और सफल घोषित याचिकाकर्तागण की रिट याचिकाएं अपास्त की जाती हैं।

यह स्थगन आवेदनों का भी निपटान करता है"

26. **(एकल न्यायधीश सिविल रिट याचिका संख्या 15028/2016 decided on 08.11.2016)**, relevant portion of which reads as under:- याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने भी ***अरविंद कुमार और अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य। (एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या एकल नइत्यायॉग सिविल रिट याचिका***

15028/2016 पर 08.11.2016 को निर्णय लिया गया), के मामले में जयपुर पीठ में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि राजस्थान सरकार में 13098 स्कूल व्याख्याताओं के कुल पद के लिए पांच लाख से अधिक भावी शिक्षक हैं, जिन्होंने स्नातकोत्तर और शिक्षा में डिग्री (बी. एड.) ने आवेदन किया है। कितने अभ्यर्थी पहले ही पीएच.डी. प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए, न केवल शिक्षकों की भर्ती में गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है, बल्कि यह भी उतना ही आवश्यक है कि शिक्षकों की भर्ती की प्रणाली राजस्थान सरकार के निवासियों में विश्वास और विश्वास को प्रेरित करे।

भावी अभ्यर्थियों के मन में किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए कि प्रणाली निष्पक्ष नहीं है, यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर जनता की नजर में परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित की जाए ताकि उनमें विश्वास जगाया जा सके। यह आवश्यक है कि आरपीएससी को पारदर्शिता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए ताकि राजस्थान सरकार के उम्मीदवारों और निवासियों द्वारा आरपीएससी का नाम और प्रतिष्ठा सम्मानपूर्वक बनी रहे।

इसलिए, यह अदालत श्री एम.एफ. द्वारा दी गई दलील को अपास्त कर देगी। बेग ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा दी गई उत्तर-कुंजी को सीलबंद कवर में रखा जाना चाहिए और इसे उम्मीदवारों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी आशंका है कि इस तरह से मुकदमेबाजी की बहुलता हो जाएगी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरपीएससी को चयन प्रक्रिया पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक सब कुछ गुप्त रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

यह न्यायालय श्री एम.एफ. द्वारा उठाए गए तर्क को अपास्त करता है। बेग आरपीएससी में मामलों के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों की निष्पक्षता में विश्वास करते हैं, क्योंकि इस न्यायालय का मानना है कि आरपीएससी के पास अपनी अलमारी में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। पारदर्शिता न केवल प्रणाली में व्यक्तियों के विश्वास को प्रेरित करती है बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि योग्यता ही एकमात्र मानदंड है जिसके लिए आरपीएससी प्रतिबद्ध है और आरपीएससी हर संभव प्रयास करेगा कि शिक्षकों को केवल योग्यता की कसौटी पर खड़ा

किया जाए। यह न्यायालय इस सिद्धांत का पालन करेगा कि भर्ती में निष्पक्षता का न केवल पालन किया जाना चाहिए बल्कि पालन किया हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए, पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं: -

1. इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ संशोधित उत्तर-कुंजी आरपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

2. आरपीएससी द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, आरपीएससी द्वारा किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा और संशोधित उत्तर-कुंजी अंतिम होगी और परिणाम की गणना के लिए आरपीएससी द्वारा इसका पालन किया जाएगा।

3. यह केवल उस प्रश्न का उत्तर है जो संशोधित उत्तर-कुंजी के अनुसार स्पष्ट रूप से गलत है और विषय में अधिकार रखने वाले विशेषज्ञों के लिए अस्वीकार्य है, अदालत संशोधित उत्तर-कुंजी को दी गई चुनौती पर विचार करने में सक्षम होगी और यदि दो विचार हैं यदि यह विशेषज्ञों द्वारा अनुमोदित संशोधित उत्तर-कुंजी के अनुरूप है, तो संभव है कि एक दृश्य को उचित विश्वसनीयता दी जाएगी।

4. संशोधित उत्तर-कुंजी अपलोड करने के बाद पंद्रह दिनों की अवधि के लिए, परिणाम की गणना को स्थगित रखा जाएगा ताकि किसी प्रश्न की संशोधित उत्तर-कुंजी स्पष्ट रूप से गलत होने पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सके।

5. किए गए चयन के अनुसरण में, पहले से जारी किसी भी नियुक्ति/पोस्टिंग पत्र को आरपीएससी और राज्य सरकार द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से पंद्रह दिनों की अवधि के लिए स्थगित रखा जाएगा।

इस आदेश की एक प्रति कोर्ट मास्टर की मुहर और हस्ताक्षर के तहत श्री एम.एफ. बेग और श्री संजय शर्मा, आगे के प्रसारण और आवश्यक अनुपालन के लिए सरकारी अधिवक्ता को सौंपी जाएगी।

27. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जितेंद्र कुमार और अन्य बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग, 2012 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 15657 में रिपोर्ट किया गया, मामले में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हुए अपनी दलीलों को और अधिक पुष्ट किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार

है: -

"जैसाकि ऊपर कहा गया है, आयोग द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम के परिणामस्वरूप कई महत्वाकांक्षी और योग्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हुआ है क्योंकि असमानता के एक छोटे से कारण को खत्म करने की प्रक्रिया में, इसने समानता के पवित्र वृक्ष की जड़ों को संक्रमित कर दिया है जिसने नेतृत्व किया है पेड़ को ही नष्ट करने के लिए. इसके परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है और यह टिकाऊ नहीं है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन रिट याचिकाओं को निम्नलिखित निर्देशों के साथ अनुमति दी जाती है:-

(i) हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रश्न-पत्रों की पुस्तिका के खंड 9 के अनुसरण में आयोग को प्राप्त 151 अभ्यावेदनों पर विचार करने और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगा। आयोग इस पर विचार करेगा और कानून के अनुसार कदम उठाएगा;

(ii) हरियाणा लोक सेवा आयोग आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर-कुंजी प्रकाशित करेगा, उचित समय के भीतर उम्मीदवारों से अभ्यावेदन मांगेगा, यदि कोई हो तो उसे प्राप्त होने पर उसे संदर्भित किया जाएगा। विशेषज्ञों की एक समिति, जो इन अभ्यावेदनों पर विचार करेगी और आयोग को अपनी राय सौंपेगी जो उसके बाद उस पर निर्णय लेगी और कानून के अनुसार उचित कदम उठाएगी।

यदि विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्न-पत्रों/उत्तर कुंजियों में विसंगतियां पाई जाती हैं, तो आयोग द्वारा सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे और निम्नलिखित को भी ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात जहां भी प्रश्न (ओं) के संबंध में उत्तर-कुंजी में सही दर्शाया गया विकल्प गलत है और इसके स्थान पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य विकल्प सही पाया जाता है, तो उत्तर-कुंजी को सही किया जाए।

प्रश्न(ओं) जिनके संबंध में उत्तर-कुंजी में उत्तर बहस योग्य है या प्रश्न जिनके संबंध में एक से अधिक सही विकल्प हैं या प्रश्न जिनके संबंध में कोई भी विकल्प सही नहीं है या प्रश्न(ओं) जो भ्रामक है/हैं या स्पष्ट उत्तर के लिए पूरी जानकारी प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें परीक्षा के दायरे से हटाना होगा। सामान्य अध्ययन के पेपर के मामले में, सभी उम्मीदवारों के अनुसार उत्तरों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

हालाँकि, वैकल्पिक विषयों के मामले में, यदि प्रश्न-पत्र/उत्तर-कुंजी में विसंगतियाँ ऐसी प्रकृति की हैं, तो आयोग के पास उक्त वैकल्पिक पेपर में पुन: परीक्षा का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जहां प्रश्न(प्रश्नों) को हटाया जाना है।

इसके बाद उपरोक्त प्रक्रिया को प्रभावी करने के बाद ही परिणाम संकलित और घोषित किया जाएगा।

मुख्य लिखित परीक्षा, जो 2.9.2012 के लिए निर्धारित है, आयोग द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित रहेगी।

इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के विशेष सचिव के हस्ताक्षर के तहत एचपीएससी के अधिवक्ता श्री मेहतानी को दी जाएगी।"

28. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने, अपनी दलीलों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, जे. एंटनी क्लारा बनाम एस. विजयालक्ष्मी (रिट याचिका (एमडी) संख्या 13267/2013 पर 01.10.2013 को निर्णय लिया गया) में मदुरै पीठ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

"33. यह निर्णय प्रत्यर्थीगण को किसी भी तरह से मदद नहीं करता है, इस कारण से कि सबसे पहले यह निर्णय गलत मुख्य उत्तरों से संबंधित है। दूसरे, सभी अभ्यर्थियों की तुलना में गलत कुंजी उत्तर लागू किये गये। इस प्रकार लाभ या हानि सभी के लिए एक समान थी। लेकिन, मौजूदा मामले में, गलत प्रश्न केवल 'बी' श्रृंखला के प्रश्न-पत्र में थे। दुर्भाग्य से 8000 अभ्यर्थियों को छोड़कर लगभग 24 हजार अभ्यर्थी सही प्रश्नपत्रों से

लाभान्वित हुए हैं। इसलिए, यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाई गई उपरोक्त पद्धति का मौजूदा मामले में पालन किया जाता है, तो फायदा या नुकसान एक समान नहीं होगा।

34. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हालांकि इससे टीआरबी के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने में कुछ कठिनाई होगी और हालांकि उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए एक बार फिर से अपनी पूरी रात का समय बर्बाद करना होगा और हालांकि इससे आधिकारिक प्रत्यर्थीगण पर काफी वित्तीय बोझ पड़ सकता है। उस स्कोर पर यह न्यायालय विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सुझाए गए तरीकों में से किसी एक को अपनाकर टीआरबी को उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने की अनुमति देकर उम्मीदवारों के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता है। मुझे लगता है कि पुन: परीक्षण का आदेश देना ही एकमात्र न्यायसंगत राहत है जो यह न्यायालय पक्षकारों को दे सकता है।

35. मुझे खेद है कि यह न्यायालय इतना कठोर रुख अपनाने के लिए बना है। यह न्यायालय उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई और पीड़ा का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्तमान परीक्षा में अच्छा प्रदर्श किया है, वे पुन: परीक्षा में उतना अच्छा प्रदर्श नहीं कर पाएंगे और अंततः उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसाकि ऊपर बताया गया है, ये सभी कठिनाइयाँ, मेरे विचार से, टीआरबी के उदासीन रवैये के कारण हैं। न्यायपालिका, वह संस्था होने के नाते जिसे संविधान के तहत समानता लागू करने और नागरिकों के अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, पुन: परीक्षण के आदेश देने के लिए सख्त रुख अपनाने में कोई अनिच्छा नहीं दिखा सकती है। आख़िरकार, जैसाकि अंग्रेजी कहावत है, "कुछ अंडे तोड़े बिना कोई ऑमलेट नहीं बना सकता"।

36. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है:

(i) तमिल विषय में स्नातकोत्तर सहायकों की भर्ती के लिए 21.07.2013 को आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा को अपास्त किया जाता है।

(ii) आधिकारिक प्रत्यर्थीगण, विशेष रूप से शिक्षक भर्ती बोर्ड को, किसी भी स्थिति में, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, यथाशीघ्र नई परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाता है।

(iii) ऐसी नई परीक्षा के लिए, उम्मीदवारों को नए हॉल टिकट जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए पुराने हॉल टिकट को पर्याप्त माना जा सकता है।

(iv) नए सिरे से आवेदन नहीं मंगाए जाएंगे।

कोई लागत नहीं. संबंधित विविध याचिकाएँ अपास्त की जाती हैं।

1. प्रमुख सचिव, तमिलनाडु सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई-9।

2. स्कूल शिक्षा निदेशक, कॉलेज रोड, चेन्नई-6।

3. सचिव, शिक्षक भर्ती बोर्ड, ई.वी.के.संपत मालीगई, डीपीआई कंपाउंड, कॉलेज रोड, चेन्नई-6।"

29. अंत में, याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आयोग, एक 'संवैधानिक पदाधिकारी' होने के नाते, कानून के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आशा करता है, और यह भी देखेगा कि परीक्षाएं, विशेष रूप से प्रश्न में, आयोजित की जाती हैं। फुलप्रूफ तरीके से, ताकि उक्त परीक्षा में किसी भी विसंगति या विसंगति से बचा जा सके।

30. याचिकाकर्तागण की ओर से किए गए उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी-आयोग ने एक मॉडल उत्तर-कुंजी जारी की और उसके संबंध में आपत्तियां आमंत्रित कीं, और प्राप्त होने पर संबंधित उम्मीदवारों से इस प्रकार आमंत्रित की गई आपत्तियों पर, आयोग ने ऐसी आपत्तियों से उचित तरीके से निपटने के उद्देश्य से, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने उन सभी आपत्तियों का उचित सोच-समझकर निपटारा किया, और उसमें कोई सार नहीं पाए जाने पर, सिफारिश की कि उत्तर-कुंजी में दिए गए उत्तर सही थे। इसके अलावा, जहां भी विशेषज्ञ समिति को किसी प्रश्न के दो संभावित उत्तर मिले, उसने ऐसे प्रश्नों को हटाने की सिफारिश की है।

31. जहां तक वर्तमान याचिकाओं में उठाए गए आधारों में से एक यह है कि आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति में तीन या अधिक सदस्य शामिल नहीं थे, और एक सदस्य (विशेषज्ञ) को इसकी सत्यता की जांच करने का काम सौंपा गया है। उत्तर-कुंजी में उल्लिखित उत्तर चिंतित हैं, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता- आयोग ने प्रस्तुत किया है कि

विभिन्न विषयों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जिसे इस न्यायालय के अवलोकन के लिए भी रखा गया है, से पता चला है कि विशेषज्ञ समिति इसमें न्यूनतम तीन, या कुछ मामलों में, तीन से अधिक सदस्य शामिल थे, और इसलिए, वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाए गए ऐसे आधार का कोई औचित्य नहीं है।

32. प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट सर्वोपरि विचार की पात्र है, क्योंकि न तो विशेषज्ञ समिति के किसी भी सदस्य के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या असंगत विचार का कोई आरोप लगाया गया है, न ही कोई आरोप लगाया गया है। विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट तैयार करने में अपनाई गई विधि, जो निष्पक्ष और पारदर्शी है, के संबंध में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्रत्यर्थी-आयोग के खिलाफ मामला उठाया गया है।

33. प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यह स्थापित कानून है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, माननीय न्यायालय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपील नहीं करता है और विशेषज्ञ समिति के निष्कर्ष को छोड़कर, अपनी स्वयं की खोज सेटिंग को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने उमराव सिंह चरण बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य। (एकलपीठसिविल रिट याचिका संख्या 14119/2016 पर 08.02.2017 को निर्णय लिया गया) में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: -

> *"याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निस्संदेह, कमलेश कुमार शर्मा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (सुप्रा.) के मामले में इस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रश्नों पर विचार करने और उत्तरों को सही करने की अपनी शक्ति के भीतर था और उक्त मामले में, विद्वान एकलपीठ ने आरपीएससी को कुछ प्रश्नों को हटाने के लिए विशिष्ट निर्देशों द्वारा उम्मीदवारों की उत्तरपुस्तिकाओं का नए सिरे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त आदेश और निर्णय के खिलाफ राज्य और आयोग द्वारा खंडपीठ के समक्ष*

दायर अपील भी अपास्त कर दी गई थी। हालाँकि, राजस्थान सरकार बनाम कमलेश कुमार शर्मा एवं अन्य। (सुप्रा.) मामले में विद्वान खंडपीठ के निर्णय के पैरा 10 और 11 का अवलोकन दिखाएगा कि प्रत्यर्थी-आयोग ने विशेषज्ञ समिति द्वारा बताई गई त्रुटियों को नजरअंदाज कर दिया है और उसके बाद, पक्षकारों की दलीलों और बार में प्रस्तुत प्रस्तुतियों के साथ-साथ विद्वान एकलपीठ द्वारा बताई गई त्रुटियों को नजरअंदाज कर दिया है। देश के माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा घोषित कानून ने 21 प्रश्नों के गलत निर्धारण के आरोपों के संबंध में विवाद की बहुत विस्तार से जांच की, और निष्कर्ष निकाला कि चार प्रश्नों को हटा दिया जाना चाहिए और उत्तर-कुंजी के संबंध में एक को बदला जाना चाहिए. यह बताना महत्वपूर्ण है कि उक्त पेपर उम्मीदवार के कानून के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के संबंध में था। 'कानून' के विषय से संबंधित प्रश्नों को न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जिस विषय के विद्वान एकलपीठ स्वयं विशेषज्ञ थे, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है जहां न्यायालय अन्य विषयों पर विशेषज्ञ नहीं हैं और इसलिए, किसी विशेष विषय के विशेषज्ञ सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, न्यायालय उस विशेष विषय के विशेषज्ञों द्वारा दी गई विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर अपील जांच निकाय के रूप में नहीं बैठ सकता है और विषय पर विशेषज्ञ की राय के ऊपर अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मुकेश ठाकुर बनाम एचपी राज्य और अन्य ने 2006 में रिपोर्ट दी (1) शिम। एल.सी. 134 मामले में सुनवाई में सिविल विधि-2 विषय की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के निर्माण में विसंगति पायी गयी और मूल्यांकन के बाद आयोग द्वारा तैयार किये गये परिणाम को अपास्त कर दिया। हालाँकि, इस मामले को एच.पी. लोक सेवा आयोग बनाम. मुकेश ठाकुर एवं अन्य (2010) 6 एससीसी 759 में रिपोर्ट के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में ले जाया गया था और माननीय

उच्चतम न्यायालय ने माना कि इस न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना और प्रश्न-पत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करना स्वीकार्य नहीं था, भले ही ये प्रश्न कानून के विषय से संबंधित हों, विशेष रूप से जब आयोग ने अभ्यर्थियों की परस्पर योग्यता का आकलन किया था। निम्नलिखित टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा:

"20. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न-पत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करना स्वीकार्य नहीं था, विशेषकर, जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया था। यदि प्रश्न तैयार करने या उत्तर के मूल्यांकन में कोई विसंगति थी, तो यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हो सकती है, न कि केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए। संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय विधि से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। यदि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषय होते, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय को इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं थी।"

कानून की उपरोक्त व्याख्या के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय में न्यायिक समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकना चाहिए, जहां तक यह संशोधित मुख्य उत्तरों से संबंधित है।

उम्मीदवारों के पास शायद ऐसा कोई मामला रहा होगा जिसमें आपत्तियों पर विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई थी। लेकिन एक बार, विशेषज्ञ समिति का गठन हो गया है और पक्षपात या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, तो कोई भी आगे का हस्तक्षेप केवल स्थापित विधिक स्थिति को अस्थिर करेगा कि न्यायालयों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के प्रति सम्मान दिखाना होगा जिसमें सक्षम और

प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे। फील्ड। विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर विशेष रूप से सर्वोपरि विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह और दुर्भावना का कोई आरोप या बाहरी विचार की भनक तक नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय प्रश्न-पत्र या उत्तर-कुंजी में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जब विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी प्रश्नों की सत्यता की दोबारा जांच की गई हो।

"तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं अपास्त की जाती हैं।"

माननीय न्यायालय के विद्वान एकलपीठ के उपरोक्त निर्णय को याचिकाकर्तागण द्वारा खंडपीठएस.पी.एल. दायर करके चुनौती दी गई थी। आवेदन. रिट संख्या 230/2017 (उमराव सिंह चारण बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य), जिसे भी इस माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 08.03.2017 के निर्णय के तहत अपास्त कर दिया था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"16. हम विद्वान एकलपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं क्योंकि न्यायिक घोषणा द्वारा लगाई गई सीमाएं विद्वान एकलपीठ द्वारा सही और उचित रूप से स्वीकार की गई हैं। यहां तक कि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी एच.पी. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य. [(2010) 6 एससीसी 759] में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, विद्वान एकलपीठ द्वारा विचार किया गया है। उसी का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है: -

". . . . .निम्नलिखित टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा:

"20. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न-पत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करना स्वीकार्य नहीं था, विशेषकर, जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया था। यदि प्रश्न तैयार करने या उत्तर के मूल्यांकन में कोई विसंगति थी, तो यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हो सकती है, न कि

केवल प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए। संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय विधि से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। यदि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषय होते, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय को इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं थी।"

कानून की उपरोक्त व्याख्या के मद्देनजर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस न्यायालय को अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णय में न्यायिक समीक्षा करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकना चाहिए, जहां तक यह संशोधित मुख्य उत्तरों से संबंधित है।

उम्मीदवारों के पास शायद ऐसा कोई मामला रहा होगा जिसमें आपत्तियों पर विचार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई थी। लेकिन एक बार, विशेषज्ञ समिति का गठन हो गया है और पक्षपात या दुर्भावना का कोई आरोप नहीं है, तो कोई भी आगे का हस्तक्षेप केवल स्थापित विधिक स्थिति को अस्थिर करेगा कि न्यायालयों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के प्रति सम्मान दिखाना होगा जिसमें सक्षम और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे। फील्ड। विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर विशेष रूप से सर्वोपरि विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह और दुर्भावना का कोई आरोप या बाहरी विचार की भनक तक नहीं है।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह न्यायालय प्रश्न-पत्र या उत्तर-कुंजी में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जब विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी प्रश्नों की सत्यता की दोबारा जांच की गई है।

17. अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विद्वान एकलपीठ द्वारा विवेक का प्रयोग करने से इनकार करने का विचार सही किया गया है। विशेषज्ञ समिति के बाद भी, जिस

दृष्टिकोण को हटाने के लिए लिया गया है वह दी गई तारीख पर दिन का आह्वान है और यह सर्वविदित है कि एक दिन रखी गई हर राय अगले दिन बदल जाती है और विद्वान एकलपीठ ने सही ही कहा है वही स्वीकार किया। हमारी राय में भी, विद्वान एकलपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को बदलना कानून की दृष्टि से बुरा होगा। लेकिन अंततः छात्र और उनके अभिभावक ही पीड़ित होते हैं।

18. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 13000 शिक्षक सरकारी स्कूलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके अभाव में गरीब छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी होती है। मामले के उस दृष्टिकोण में, विवाद को समाप्त करने के लिए, हमारी राय है कि विद्वान एकलपीठ द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना आवश्यक है और उसे स्वीकार किया जाता है। हालाँकि, इस आदेश के द्वारा हम आरपीएससी को कुछ निर्देश जारी कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत लागू करना आवश्यक है।

(क) आरपीएससी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रश्न-पत्रों को अंतिम रूप देने के समय विशेषज्ञ की राय की मदद से उत्तर-कुंजी सही जगह पर हो। यदि प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी गलत पाई जाती है, तो उसे तैयार करने वाले संबंधित व्यक्ति को आरपीएससी में परीक्षा के उचित पद से वंचित कर दिया जाएगा और उसका पारिश्रमिक रोक दिया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति/विशेषज्ञ एक सरकारी कर्मचारी है तो उम्मीदवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने और भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने के लिए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी, जहां बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा भाग ले रहे हैं। इसलिए, प्रश्न-पत्र और उत्तर-कुंजी को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने से पहले उनमें शून्य त्रुटि सुनिश्चित करने की सीधी जिम्मेदारी आरपीएससी की होगी।

(ग) आरपीएससी को विशेषज्ञ समिति/व्यक्ति की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी को जन्म देने वाले और बेरोजगार युवाओं में

बारहमासी निराशा पैदा करने वाले विवादित प्रश्न-पत्रों और उत्तर-कुंजी को काफी हद तक कम किया जा सके।

(घ) आरपीएससी स्वयं अपने तीन सदस्यों की एक समिति का गठन करेगी जो यूपीएससी और अन्य राज्य पीएससी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया का अध्ययन करेगी और 60 दिनों की अवधि के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बड़े पैमाने पर व्यवधान हो। गलत प्रश्नपत्रों और गलत उत्तर-कुंजी के कारण चयन प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसी रिपोर्ट लागू होने से पहले संबंधित खंडपीठ के समक्ष रखी जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो उस चरण में इस न्यायालय द्वारा आगे के आदेश पारित किए जाएंगे। इसके बाद रिपोर्ट लागू की जाएगी और आशा है कि भविष्य में लाखों बेरोजगार युवाओं को इस तरह का उत्पीड़न नहीं होगा।

(19) हमें खेद है कि हम इन अपीलों को अपास्त कर रहे हैं। लेकिन भारी मन से हमने उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में आरपीएससी इस प्रथा को नहीं अपनाएगा। अत: अपीलें गुणहीन होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य हैं।

(20) ये अपीलें तदनुसार अपास्त की जाती हैं।"

34. प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने ललित मोहन शर्मा एवं अन्य बनाम आरपीएससी एवं अन्य, 2006(1) सीडीआर 834 (राजस्थान) (एफबी) में प्रकाशित मामले में जयपुर पीठ में इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा करते हुए अपनी दलीलों को और मजबूत किया है। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

"19. लिखित बयान में विशेष रूप से कहा गया है कि विवादित प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं था या याचिकाकर्तागण/अन्य उम्मीदवारों द्वारा उल्लिखित मानक पुस्तकों में दिए गए सही उत्तर के विपरीत नहीं था।

20. तथ्यों की प्रभावशाली श्रृंखला के संदर्भ में, जैसाकि ऊपर पूरी तरह से विस्तृत है, हम याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान

अधिवक्ता की ओर से उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं कि उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा प्रदान किए गए मुख्य उत्तर याचिकाकर्ता गलत थे या विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट होने के बावजूद न्यायालय को यह पता लगाने की कवायद अपने हाथ में लेनी चाहिए कि मुख्य उत्तर सही हैं या गलत। प्रस्ताव के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर विवादित प्रश्नों और प्रत्यर्थी आयोग द्वारा प्रदान किए गए मुख्य उत्तरों की प्रामाणिकता की जांच के लिए याचिकाकर्तागण द्वारा उठाई गई दलील पर जाने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से, न्यायालय शिक्षा के क्षेत्र और उन विभिन्न विषयों का विशेषज्ञ नहीं है जिनके लिए प्रश्न-पत्र लिखित विवरण तय किया गया है। इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा लिखी गई मान्यता प्राप्त पाठ्य-पुस्तकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि समिति का गठन करने वाले सदस्यों को संबंधित विषयों की जानकारी नहीं थी या उनमें कोई विशेषज्ञता नहीं थी और न ही उनके खिलाफ पक्षपात का कोई आरोप है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायालय के लिए मामले की आगे की जांच करने का कोई अवसर ही नहीं बनता है। इसलिए याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, यह प्रस्ताव देने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्यर्थी आयोग द्वारा प्रदान किए गए कुंजी-उत्तर गलत हैं, लेकिन केवल यह आग्रह किया जा रहा है कि कुछ मान्यता प्राप्त परीक्षण पुस्तिकाओं या प्रतिष्ठित पुस्तकों में, संबंधित प्रश्नों के अलग-अलग उत्तर हैं प्रदान किया गया। यह मानते हुए कि याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जो आग्रह किया है वह सही है, उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में हस्तक्षेप करना न तो स्वीकार्य होगा और न ही उचित होगा।

इस प्रकार, प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश और

सलाह के आधार पर आयोग का निर्णय चुनौती के लिए खुला नहीं है।

35. प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रकार मामला बनाया है कि आयोग ने विभिन्न स्तरों पर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर एक प्रक्रिया अपनाकर, जो निष्पक्ष और पारदर्शी है, परीक्षा आयोजित की। उम्मीदवारों को उत्तर-कुंजी के खिलाफ अपनी आपत्तियां उठाने का अवसर दिया गया, जिससे गलतियों की संभावना समाप्त हो गई, जिससे सिस्टम इंटरैक्टिव और उत्तरदायी बन गया। याचिकाकर्तागण का यह तर्क कि विशेषज्ञ द्वारा प्रदान की गई उत्तर-कुंजी गलत थी , याचिकाकर्तागण के स्व-मूल्यांकन पर आधारित है, जो विधिक रूप से मान्य नहीं है। विशेषज्ञ की राय अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे है। कुल मिलाकर, प्रत्यर्थी-आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने यह मामला बनाया कि उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन विशेषज्ञों का काम है।

36. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और साथ ही बार में उद्धृत पूर्ववर्ती कानूनों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

37. इस न्यायालय के विचारार्थ यह प्रश्न उठता है कि क्या यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर, सार्वजनिक रोजगार के लिए परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित अपील कर सकता है और विशेषज्ञ समिति की राय के स्थान पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है।

38. दोषपूर्ण उत्तर-कुंजी के संबंध में याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के गुणागुण पर विचार करने से पहले, हम पहले ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में प्रत्यर्थीगण के विवाद से निपटने का प्रस्ताव करते हैं।

39. इस श्रृंखला में अग्रणी मिवर्ष कानून, कानपुर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य ने (1983) 4 एससीसी 309 में प्रकाशित है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए यह प्रश्न उठा कि यदि कोई पेपर-सेटर किसी प्रश्न का सही उत्तर बताते समय कोई त्रुटि करता है उनके द्वारा निर्धारित, क्या उस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले छात्रों को इस कारण से अनुत्तीर्ण किया जा सकता है कि यद्यपि उनका उत्तर सही है, लेकिन यह पेपर-सेटर द्वारा विश्वविद्यालय को सही उत्तर के रूप में दिए गए उत्तर के अनुरूप नहीं है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले में, प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे और उम्मीदवारों को चार विकल्पों में से एक सही

उत्तर के संबंध में विकल्प चुनने की आवश्यकता थी, जैसाकि मौजूदा मामले में है।

40. कानपुर विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य (सुप्रा.) में निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> *" . . . . . .हम इस बात से सहमत हैं कि कुंजी-उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत सिद्ध न हो जाए और इसे तर्क की अनुमानित प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध किया जाना चाहिए, अर्थात यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत कोई भी उचित व्यक्ति इसे सही न माने। इस मामले में विश्वविद्यालय का तर्क बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों द्वारा गलत सिद्ध होता है, जो आमतौर पर यूपी में छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। उन पाठ्य-पुस्तकों में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।*
>
> *. . . . . .दूसरा, राज्य सरकार द्वारा पेपर सेटरों द्वारा दिए गए मुख्य उत्तरों को मॉडरेट करने के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। तीसरा, यदि अंग्रेजी प्रश्नों का हिंदी में अनुवाद करना हो तो हिंदी भाषा के विशेषज्ञ को अनुवादक के रूप में नियुक्त करना पर्याप्त नहीं है। अनुवादक को वैज्ञानिक शब्दावली का अर्थ और अनुवाद की कला का ज्ञान होना चाहिए। चौथा, 'बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की प्रणाली में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रश्नपत्रोंमें अस्पष्टता वाले प्रश्न न पूछे जाएं। . . . . "*

41. माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2018) 2 एससीसी 357 में प्रकाशित मामले में कानपुर विश्वविद्यालय और अन्य बनाम समीर गुप्ता एवं अन्य। (सुप्रा.) अन्य पूर्ववर्ती कानूनों के बीच में निर्धारित कानून का हवाला देते हुए, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मामलों में न्यायिक दृष्टिकोण के दायरे के संबंध में मिवर्ष कानून निर्धारित किया है।

42. रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (सुप्रा.) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को, विस्तार में, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"कितनी गड़बड़ है! यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। द्वारा आयोजित परीक्षा में घटित घटनाओं का वर्णन करने का शायद यही एकमात्र तरीका है। जनवरी 2009 में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले 36,000 से अधिक अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं के आठ वर्षों की लंबी अनिश्चितता और तीन बार मूल्यांकन के बाद हम निर्णय के वर्तमान चरण पर पहुँचे हैं। आशा है कि आज, उनकी कठिनाईयाँ दूर होंगी, जैसे कि यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का संतोषजनक अंत होगा।

2. 15-1-2009 को उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") ने सामाजिक विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया। भर्ती यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उसके तहत बनाये गये नियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी थी।

3. विज्ञापन के अनुसार आयोजित लिखित परीक्षा में 36,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए और लिखित परीक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा 18-6-2010 को घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय उत्तरों पर आधारित थी जिन्हें ओएमआर शीट पर स्कैन किया जाना था।

4. लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 16-7-2010 और 26-7-2010 के बीच आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। अंततः, संयुक्त परिणाम (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) 14-9-2010 को घोषित किया गया। अपीलार्थीगण के अनुसार, वे लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में भी सफल रहे और भर्ती के लिए चयन सूची में शामिल थे।

5. कुछ अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सफल नहीं हुए, उन्होंने 2010 और 2011 के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं। इन सभी रिट याचिकाओं को विद्वान एकलपीठ ने अपास्त कर दिया। इन रिट याचिकाओं को अपास्त करने का कारण यह था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 या

उसके तहत बनाई गई नियमावली में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं था। एच.पी. में इस न्यायालय के निर्णय पर रिट याचिकाओं को अपास्त करने के लिए विद्वान एकलपीठ द्वारा भी भरोसा रखा गया था। लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर [हि.प्र. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एससीसी 759: (2010) 2 एससीसी (एल एंड एस) 286: 3 एससीईसी 713] जिसमें इस न्यायालय ने अपने पहले के कई निर्णयों पर विचार किया और कहा: (एससीसी पृष्ठ 767, पैरा 26)

"26. इस प्रकार, इस विषय पर कानून इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क़ानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।"

6. रिट याचिकाओं का एक और बैच (जिसमें 77 रिट याचिकाकर्ता थे) उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। विषय और मुद्दे समान थे और विद्वान एकलपीठ ने कई समान याचिकाओं को अपास्त करने के बावजूद इन रिट याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। रिट याचिकाकर्तागण द्वारा लिखित परीक्षा में सात प्रश्नों/उत्तरों को चुनौती दी गई थी, उनके अनुसार, गलत मुख्य उत्तर थे। विद्वान एकलपीठ ने व्यक्तिगत रूप से उन सात प्रश्नों की जांच की और निष्कर्ष निकाला [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012) 4 सभी एलजे 19] कि: (रंजीत कुमार मामला [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012) 4 सभी एलजे 19], एससीसी ऑनलाइन सभी पैरा 42)

"(क) इतिहास के पेपर में प्रश्न 24 का सही उत्तर विकल्प (1) होगा।

(ख) प्रश्न 25, इतिहास के पेपर के लिए, विकल्प (2) सही है

(ग) विकल्प (2) इतिहास पेपर के प्रश्न 36 का सही उत्तर है

(घ) इतिहास पेपर के प्रश्न 37 के संबंध में विकल्प (2) सही उत्तर है।

(ड) इतिहास के पेपर के प्रश्न 40 को गलत तरीके से तैयार किया गया है।

(च) प्रश्न 43 में, दो सही उत्तर हो सकते हैं अर्थात विकल्प (1) और (3)।

(छ) नागरिक शास्त्र पेपर के प्रश्न 32 में, विकल्प (3) सही उत्तर होगा।

विद्वान एकलपीठ ने तब अवलोकन करना शुरू किया: (एससीसी ऑनलाइन सभी पैरा 54)

"54. ...इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक चयन निकाय होने के नाते, चयन बोर्ड बहुत सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सबसे ईमानदार और सही तरीके से चयन करने के लिए एक पवित्र और साथ ही वैधानिक दायित्व के तहत था। चयन बोर्ड का काम केवल चयन कर लेने भर से पूरा नहीं हो सकता, बिना इस बात की परवाह किये कि परीक्षा सही ढंग से हो रही है या नहीं, सभी प्रश्न सही ढंग से तैयार किये गये हैं या नहीं, उत्तर एकाधिक हैं या नहीं। चयन परीक्षा, उचित सावधानी और सावधानी से दी गई है ताकि उसमें त्रुटि या गलती आदि की कोई गुंजाइश न रहे। वास्तव में, यदि ऐसी कोई गलती की जाती है, तो यह एक अन्यथा अध्ययनशील, बुद्धिमान और अच्छी तरह से बहु-स्तरीय चोट का कारण बनती है। बातचीत करने वाला छात्र जो विषय को समझता है, प्रासंगिक विवरणों और सही उत्तरों को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन परीक्षा निकाय की घोर लापरवाही के कारण पीड़ित होता है। किसी भी कारण से जांच करने वाली संस्था के दायित्व को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने दिया जा सकता। परीक्षा देने वाली संस्था की गलती के लिए किसी अभ्यर्थी को परेशान नहीं किया जा सकता।'

7. इस आधार पर, विद्वान एकलपीठ ने दिनांक 8-2-2012 को एक

निर्णय और आदेश पारित किया [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012) 4 सभी एलजे 19] इन 77 रिट याचिकाकर्तागण की उत्तर-पुस्तिकाएँ की पुन: जांच का निर्देश दिया। आगे यह निर्देश दिया गया कि यदि इन रिट याचिकाकर्तागण का चयन किया जाता है तो चयन सूची में सबसे नीचे वाले लोगों को स्वचालित रूप से बाहर करना होगा।

8. यह दर्ज किया जाना चाहिए कि विद्वान एकलपीठ ने पुनर्मूल्यांकन के विषय पर इस न्यायालय के कई निर्णयों का उल्लेख और हवाला दिया, लेकिन दुर्भाग्य से निर्धारित कानून की सराहना नहीं की। विद्वान एकलपीठ ने मनीष उज्वलव महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय [मनीष उज्वल बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, (2005) 13 एससीसी 744] पर भरोसा किया लेकिन यह समझने में विफल रहा कि उस मामले में विचाराधीन छह विवादित उत्तर स्पष्ट रूप से गलत थे और यह विवाद नहीं था और यहां तक कि विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित हुए क्योंकि विश्वविद्यालय ने इस तथ्य पर प्रश्न नहीं उठाया। तथ्यों के आधार पर निर्णय स्पष्ट रूप से भिन्न है।

9. जो भी हो, मनीष उज्वल [मनीष उज्वल बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, (2005) 13 एससीसी 744] में जो मुद्दा रह गया था वह उचित आदेश पारित करने का था। इस पर विचार करते समय, निम्नलिखित सावधानी उपाय सुझाए गए: (एससीसी पृष्ठ 748, पैरा 10)

"10. "10. ...यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और मुख्य उत्तर तैयार करने वालों को बहुत सावधान रहना होगा और एक से अधिक कारणों से इन मामलों में प्रचुर सावधानी आवश्यक है। हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं; पहला और सर्वोपरि कारण छात्र का कल्याण है क्योंकि गलत कुंजी उत्तर के परिणामस्वरूप योग्यता को नुकसान हो सकता है। कोई भी अपने करियर की दहलीज पर एक युवा छात्र की दुर्दशा को अच्छी तरह से समझ सकता है यदि सही उत्तर देने

के बावजूद, छात्र गलत और स्पष्ट रूप से गलत मुख्य उत्तरों के परिणामस्वरूप पीड़ित होता है; दूसरा कारण यह है कि न्यायालय शैक्षिक मामलों में हस्तक्षेप करने में धीमी हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य उत्तर तैयार करते समय विश्वविद्यालय पर अधिक जिम्मेदारी आ जाती है; और तीसरा, संदेह की स्थिति में लाभ विश्वविद्यालय के पक्ष में जाता है, न कि छात्रों के पक्ष में।"

10. विद्वान एकलपीठ के निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए, बोर्ड ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष 2012 की विशेष अपील संख्या 442 प्रस्तुत की। कुछ उम्मीदवारों ने 8-2-2012 के निर्णय और आदेश के खिलाफ विशेष अपीलें भी कीं [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012) 4 सभी एलजे 19]। बोर्ड द्वारा दायर विशेष अपील [यू.पी.] माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 4494]। को उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने 13-3-2012 को अपास्त कर दिया था एक अभ्यर्थी द्वारा दायर कुछ अन्य विशेष अपील में, बोर्ड द्वारा 11-4-2012 को कहा गया था कि सभी की उत्तर-पुस्तिकाओं का विद्वान एकलपीठ के निर्णय के आलोक में उम्मीदवारों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

11. इस पर अमल करते हुए विद्वान एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को दिनांक 10-9-2012 को क्रियान्वित किया गया तथा सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित किया गया। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अभ्यर्थी, जो 14-9-2010 को घोषित संयुक्त परिणाम में सफल घोषित किये गये थे, अब असफल घोषित कर दिये गये। हमारे समक्ष अपीलार्थी लिखित परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन से प्रभावित नहीं हुए और चयन सूची में बने रहे।

12. इसके बाद, इस न्यायालय के समक्ष कुछ याचिकाएं दायर की गईं और अंततः ऐसा हुआ कि 13-3-2012 को खंडपीठ द्वारा पारित आदेश

से व्यथित लोग [यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 4494] समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं।

13. 12-5-2014 को बोर्ड ने उन उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जो लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में भी उत्तीर्ण हुए थे। इस अंतिम चयन सूची में, अपीलार्थीगण को जगह नहीं मिली और इसलिए, उन्होंने 8-2-2012 के विद्वान एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012)) 4 सभी एलजे 19]। अपीलार्थीगण के अनुसार विद्वान एकलपीठ ने सात विवादित प्रश्नों का गलत पुनर्मूल्यांकन किया था और इन प्रश्नों के गलत उत्तर तक पहुंचे।

14. खंडपीठ ने सभी समीक्षा याचिकाओं के साथ-साथ अपीलों पर भी सुनवाई की और दिनांक 28-4-2015 को एक आदेश पारित किया [यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम यूपी राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन सभी 9066] सात विवादित प्रश्नों/उत्तरों को एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार के लिए संदर्भित किया गया। 18-5-2015 को या उसके आसपास विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिस पर अपीलार्थीगण ने आपत्तियां दर्ज कीं। अंततः दिनांक 2-11-2015 के निर्णय एवं आदेश द्वारा [उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन सभी 5788: (2016) 3 3 ऑल एलजे 405] खंडपीठ ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर-पुस्तिकाओं के नए सिरे से मूल्यांकन का निर्देश दिया। डिविजन बेंच का यह निर्णय हमारे सामने चुनौती के अधीन है।

15. इस न्यायालय में अपीलों के लंबित रहने के दौरान, बोर्ड द्वारा तीसरा पुनर्मूल्यांकन पूरा किया गया। तीसरे पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा गया है। सीलबंद लिफाफा शुरू में हमारे सामने दायर किया गया था लेकिन बाद में बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दिया गया।

16. हमें दुख है कि जनवरी 2009 में विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती के लिए आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परीक्षा अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है। सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली की सावधानीपूर्वक जांच और समीक्षा की जानी चाहिए ताकि चयनित उम्मीदवारों को मुकदमेबाजी में न घसीटा जाए जो कई वर्षों तक चल सकती है। जो भी हो, हमें अभी भी हमारे सामने मौजूद मुद्दों से निपटना है।

17. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उसके तहत बनाए गए नियम उत्तर-पुस्तिकाओं के किसी भी पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं करते हैं और इसलिए, विद्वान एकलपीठ को चाहिए कि उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मुकेश ठाकुर [हि.प्र.] के निम्नलिखित अंश का संदर्भ दिया गया था। लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एससीसी 759: (2010) 2 एससीसी (एल एंड एस)286: 3 एससीईसी 713] जिसने इस विषय पर कई निर्णयों पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 765, पैरा 20)

"20. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय के लिए प्रश्न-पत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं की स्वयं जांच करना स्वीकार्य नहीं था, विशेषकर, जब आयोग ने उम्मीदवारों की पारस्परिक योग्यता का आकलन किया था। यदि प्रश्न तैयार करने या उत्तर के मूल्यांकन में कोई विसंगति थी, तो यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए हो सकती है, न कि केवल प्रत्यर्थी 1 के लिए। संयोग की बात है कि उच्च न्यायालय विधि से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। यदि यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषय होते, तो हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह के पाठ्यक्रम को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय को इस तरह के कृत्य की अनुमति नहीं थी।"

*18. **मुकेश ठाकुर [हि.प्र.] में न तो पूर्णतः हैंड-ऑफ़ या न-हस्तक्षेप दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया था। लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एससीसी 759: (2010) 2 एससीसी (एल एंड एस) 286: 3 एससीईसी 713] और न ही इस न्यायालय के किसी अन्य निर्णय में इसका सुझाव दिया गया है-वर्षों से विकसित किसी परीक्षा के परिणामों में हस्तक्षेप का मामला कानून स्वीकार करता है, लेकिन दुर्लभ और असाधारण स्थितियों में और बहुत सीमित सीमा तक।***

19. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता [कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता, (1983) 4 एससीसी 309] में इस न्यायालय ने यह विचार किया कि: (एससीसी पृष्ठ 316, पैरा 16)

*"16. ... **मुख्य उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि वह गलत सिद्ध न हो जाए और तर्क की किसी अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि यह गलत है, अर्थात्, यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में पारंगत कोई भी उचित व्यक्ति इसे सही न माने।"***

दूसरे शब्दों में, यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का दायित्व उम्मीदवार पर है कि मुख्य उत्तर गलत है और वह भी बिना किसी अनुमान प्रक्रिया या तर्क के। इसलिए उम्मीदवार पर बोझ काफी अधिक है और संवैधानिक अदालतों को किसी मुख्य उत्तर की शुद्धता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए। ऐसी चुनौतियों को रोकने के लिए, इस न्यायालय ने परीक्षा अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कुछ कदमों की सिफारिश की और उनमें से हैं: (i) संयम की एक प्रणाली स्थापित करना; (ii) प्रश्नों में किसी भी अस्पष्टता से बचें, जिनमें अनुवाद के कारण उत्पन्न होने वाले प्रश्न भी शामिल हैं; और (iii) संदिग्ध प्रश्न को बाहर करने का त्वरित निर्णय लिया जाए और उस पर कोई अंक न दिए जाएं।

20. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम

परितोष भूपेश कुमार शेठ [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] शायद इस विषय पर अग्रणी मामला है और स्वयं संबंधित है महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम, 1977 के विनियम 104 के साथ, जिसमें लिखा है: (एससीसी पृष्ठ 37, पैरा 10)

*"**104.** किसी उम्मीदवार द्वारा किसी विषय में प्राप्त अंकों का सत्यापन–(1) कोई भी उम्मीदवार जो उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में उपस्थित हुआ है, वह किसी विशेष विषय में अंकों के सत्यापन के लिए संभागीय सचिव को आवेदन कर सकता है। सत्यापन यह जाँचने तक ही सीमित रहेगा कि क्या सभी उत्तरों की जांच कर ली गई है और क्या उस विषय में प्रत्येक प्रश्न के लिए अंकों के योग में कोई गलती नहीं हुई है और उत्तर-पुस्तिका के पहले कवर पेज पर अंकों को सही ढंग से स्थानांतरित किया गया है और क्या पूरक संलग्न हैं। अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित उत्तर-पुस्तिका बरकरार है। उत्तर-पुस्तिका या पूरक का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।*

(2) ऐसा आवेदन अभ्यर्थी को उस जूनियर कॉलेज के प्रमुख के माध्यम से करना होगा जिसने उसे परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था, परीक्षा परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर और प्रत्येक विषय के लिए 10 रुपये का शुल्क संलग्न करना होगा।

(3) कोई भी उम्मीदवार दावा नहीं करेगा, या अपने उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर-पुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों के प्रकटीकरण या निरीक्षण का पात्र नहीं होगा क्योंकि इन्हें मंडल बोर्ड द्वारा सबसे गोपनीय माना जाता है।

21. परितोष भूपेश कुमार मामले में इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] था: क्या, कानून के तहत, एक उम्मीदवार को निरीक्षण की मांग करने का अधिकार है, उत्तर-पुस्तिकाओं का सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन और क्या महाराष्ट्र राज्य

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम बनाए गए हैं, जहां तक वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा, इसे अधिकारातीत, अनुचित और शून्य कहा जा सकता है।

22. इस न्यायालय ने नोट किया कि मुंबई उच्च न्यायालय [परितोष भूपेश कुमार शेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1980 एससीसी ऑनलाइन बॉम 148: एआईआर 1981 बॉम 95] ने 39 रिट याचिकाओं के एक बैच से निपटते हुए, उन्हें दो समूहों में विभाजित कर दिया: (i) ऐसे मामले जहां उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण के अधिकार का दावा किया गया था; (ii) ऐसे मामले जहां उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन के अधिकार का दावा किया गया था। पहले समूह के संबंध में, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त विनियमन 104(3) को अनुचित और शून्य माना और संबंधित बोर्ड को उत्तर-पुस्तिकाओं के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया। मामलों के दूसरे समूह के संबंध में, यह माना गया कि उपरोक्त विनियमन 104(1) शून्य, अवैध और स्पष्ट रूप से अनुचित था और इसलिए निर्देश दिया गया कि पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उन परीक्षार्थियों को दी जानी चाहिए जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था।

23. उच्च न्यायालय के निर्णय परितोष भूपेश कुमार शेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1980 एससीसी ऑनलाइन बॉम 148: एआईआर 1981 बॉम 95] के खिलाफ अपील में, यह इस न्यायालय द्वारा पारितोष भूपेश कुमार मामले में अभिनिर्धारित किया गया था [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] कि ऐसे मामलों में यह माना गया कि (परितोष भूपेश कुमार मामला [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27], एससीसी पृष्ठ 38, पैरा 12) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं:

*"12. ... **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उचित और तर्कसंगत सीमाओं से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और इसे इतनी बेतुकी सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता है कि यह आवश्यक हो जाए कि सार्वजनिक परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को उनके प्रदर्श के मूल्यांकन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए या परीक्षकों द्वारा किए गए मूल्यांकन की सत्यता को स्वयं उत्तर-पुस्तिकाओं का निरीक्षण करके सत्यापित करें और यह निर्धारित करें कि परीक्षकों द्वारा उत्तरों का उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया है या नहीं।***

24. विनियमों की वैधता पर, इस न्यायालय ने माना [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] कि वे अवैध या अनुचित नहीं थे या नियम बनाने की शक्ति क़ानून द्वारा प्रदत्त के अधिकार के बाहर नहीं थे। तब कहा गया था: (परितोष भूपेश कुमार मामला[महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27], एससीसी पृष्ठ 42, पैरा 16)

"16. ... न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन-निर्माता निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता। यह एक बुद्धिमान नीति हो सकती है जो अधिनियमन के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावित करेगी या इसमें प्रभावशीलता की कमी हो सकती है और इसलिए इसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कर देगी और न्यायालय इसे इस आधार पर अपास्त नहीं कर सकता है कि, उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि मूर्खतापूर्ण भी है और यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में काम नहीं आएगा। विधायिका और उसके प्रतिनिधि यह तय करने की शक्ति के एकमात्र भंडार हैं कि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए और न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश

नहीं है जब तक कि इससे पहले लागू किए गए विशेष प्रावधान को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। कोई भी विधिक दुर्बलता, इस अर्थ में कि यह पूरी तरह से विनियमन बनाने वाली शक्ति के दायरे से परे है या मूल अधिनियम के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत है या संविधान द्वारा लगाई गई किसी भी सीमा का उल्लंघन है। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी दूषित कारक नहीं दिखाया गया है।..."

इस न्यायालय द्वारा यह भी नोट किया गया कि: (एससीसी पृष्ठ 52, पैरा 22)

"22. ... उच्च न्यायालय ने मुख्य सिद्धांत को नजरअंदाज कर दिया है कि यह निर्धारित करना न्यायालय के वैध क्षेत्र में नहीं है कि विधायिका या उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित की गई नीति से भिन्न किसी भी नीति को अपनाकर किसी क़ानून के उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है या नहीं। एक उप-कानून को अनुचित ठहराना (चर्चा के उद्देश्य से यह मानते हुए कि विवादित विनियमन एक उप-कानून है) केवल इस आधार पर कि उसमें दी गई नीति अपनी प्रभावकारिता के संबंध में न्यायालय की मंजूरी के अनुरूप नहीं है अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्यों का कार्यान्वयन।"

25. विनियम 104 की वैधता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने विनियम की स्पष्ट और सरल भाषा के आधार पर यह माना कि: (परितोष भूपेश कुमार मामला [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27], एससीसी पृष्ठ 48, पैरा 20)

"20. ... खंड (1) द्वारा प्रदत्त सत्यापन का अधिकार उसी खंड में निहित सीमा के अधीन है कि उत्तर-पुस्तिकाओं या पूरक का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और खंड (3) द्वारा आगे प्रतिबंध लगाया गया है, जो उत्तर-पुस्तिकाओं के प्रकटीकरण या निरीक्षण पर रोक लगाता है।

इसके बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए चर्चा समाप्त की: (एससीसी पृ. 56-57, पैरा 29)

"29. ... जैसाकि इस न्यायालय द्वारा बार-बार बताया गया है, न्यायालय को तकनीकी विशेषज्ञता और समृद्ध अनुभव रखने वाले पेशेवर पुरुषों द्वारा तैयार किए गए विचारों के बजाय अकादमिक मामलों के संबंध में बुद्धिमान, विवेकपूर्ण और उचित अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में बेहद अनिच्छुक होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों और उन्हें नियंत्रित करने वाले विभागों के वास्तविक दैनिक कामकाज की जानकारी। न्यायालय के लिए इस प्रकृति की समस्याओं के प्रति एक पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना पूरी तरह से गलत होगा, जो सिस्टम के कामकाज में शामिल वास्तविक वास्तविकताओं और जमीनी समस्याओं से अलग होगा और उन परिणामों से बेपरवाह होगा जो पूरी तरह से उत्पन्न होंगे। व्यावहारिक के विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया जाना था। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि न्यायालय को, जहां तक संभव हो, किसी वैधानिक प्रावधान, नियम या उप-कानून के किसी भी निर्णय या व्याख्या से बचना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली व्यवहार में अव्यवहारिक हो जाएगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय द्वारा इस सिद्धांत को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा गया है।"

26. प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग [प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एससीसी 714: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 883] में विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या उच्च न्यायालय [बिहार लोक सेवा आयोग बनाम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, 2003 एससीसी ऑनलाइन पैट 398: (2003) 2 पीएलजेआर 801] एक उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने में सही था, क्योंकि उम्मीदवार को पुनर्मूल्यांकन के लिए पूछने का अधिकार देने वाले किसी भी प्रावधान के अभाव में। इस न्यायालय ने कहा कि संबंधित नियमों में पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि केवल उत्तर-पुस्तिका की जांच का प्रावधान था।

"जिसमें उत्तर-पुस्तिकाएं यह जांचने के उद्देश्य से देखी जाती हैं कि क्या

उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के अंकों के योग और उन्हें उत्तर के पहले कवर पेज पर सही ढंग से नोट करने में कोई गलती हुई है"। (प्रमोद कुमार श्रीवास्तव मामला [प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एससीसी 714: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 883], एससीसी पीपी. 717-18, पैरा 7)

इस न्यायालय ने परितोष भूपेश कुमार शेठ [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] में निष्कर्ष दोहराया कि: (एससीसी पृष्ठ 718, पैरा 7)

"7. ... किसी परीक्षार्थी को अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराने का अधिकार प्रदान करने वाले विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

27. परितोष भूपेश कुमार शेठ [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत की डब्ल्यू.बी. में पुष्टि की गई थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास [डब्ल्यू.बी. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास, (2007) 8 एससीसी 242: (2007) 2 एससीसी (एल एंड एस) 871: 5 एससीईसी 792] और यह दोहराया गया कि सार्वजनिक परीक्षा के परिणाम को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। वैधानिक प्रावधान के अभाव में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यह केवल असाधारण मामलों में और दुर्लभता के रूप में किया जा सकता है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग [प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एससीसी 714: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 883], माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, (2004) 13 एससीसी 383: 5 एससीईसी 457] और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम डी. सुवनकर [माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम डी. सुवनकर,

(2007) 1 एससीसी 603: 5 एससीईसी 719] का भी संदर्भ दिया गया था।

28. सीबीएसई बनाम खुशबू श्रीवास्तव [सीबीएसई बनाम खुशबू श्रीवास्तव, (2014) 14 एससीसी 523: 6 एससीईसी 109] में तथ्य काफी दिलचस्प हैं। प्रत्यर्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में "सीबीएसई") द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा, 2007 में एक उम्मीदवार थी। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, उसने अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। सीबीएसई ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। इसके बाद उसने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की और विद्वान एकलपीठ [खुशबू श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, 2008 एससीसी ऑनलाइन पैट 1553] ने उसकी उत्तर-पुस्तिकाएं मंगाईं और उसके अवलोकन के बाद मॉडल या मॉडल के साथ उसके उत्तरों की तुलना की। मुख्य उत्तरों से यह निष्कर्ष निकला कि वह अतिरिक्त दो अंक की पात्र थी। विद्वान एकलपीठ के दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा [खुशबू श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, 2009 एससीसी ऑनलाइन पैट 1054: (2009) 1 पीएलजेआर 867] बरकरार रखा गया था।

29. अपील में, इस न्यायालय ने खुशबू श्रीवास्तव मामले में [सीबीएसई बनाम खुशबू श्रीवास्तव, (2014) 14 एससीसी 523: 6 एससीईसी 109] उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही व्यक्त किए गए दृष्टिकोण को दोहराया। और सीबीएसई की अपील को स्वीकार करते हुए यह कहा गया: (एससीसी पृष्ठ 526, पैरा 9-11)

"9. हमने पाया कि प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग [प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एससीसी 714: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 883] मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र राज्य

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ पर [महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ, (1984) 4 एससीसी 27] भरोसा किया है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी प्रावधान के अभाव में उत्तर-पुस्तिकाओं के प्रासंगिक नियमों के अनुसार, किसी परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या मांगने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग [प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग, (2004) 6 एससीसी 714: 2004 एससीसी (एल एंड एस) 883] में निर्णय के बाद बोर्ड में इस न्यायालय की एक और तीन-न्यायाधीश पीठ ने निर्णय सुनाया। माध्यमिक शिक्षा बनाम प्रवास रंजन पांडा [माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम प्रवास रंजन पांडा, (2004) 13 एससीसी 383: 5 एससीईसी 457] जिसमें सभी परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए उच्च न्यायालय का निर्देश दिया गया है। 90% या उससे अधिक अंक कानून में अस्थिर माना जाता था क्योंकि परीक्षा आयोजित करने वाले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा के नियमों में उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

10. वर्तमान मामले में, सीबीएसई द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा, 2007 के उपनियमों में उत्तर-पुस्तिकाओं की पुन: परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं था। इसलिए, अपीलार्थी प्रत्यर्थी 1 के अभ्यावेदन पर इस तरह की पुन: परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दे सकते थे और तदनुसार उसकी उत्तर-पुस्तिकाओं की पुन: जांच / पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रत्यर्थी 1 के अभ्यावेदन को अपास्त कर दिया।...

11. " हमारी सुविचारित राय में, न तो विद्वान एकलपीठ [खुशबू श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, 2008 एससीसी ऑनलाइन पैट 1553] और न ही खंडपीठ [खुशबू श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, 2009 एससीसी ऑनलाइन पैट 1054: (2009) 1 उच्च न्यायालय के पीएलजेआर 867]

परीक्षकों के विचारों के स्थान पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित कर सकते थे और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो उत्तरों के लिए प्रत्यर्थी 1 को दो अतिरिक्त अंक दे सकते थे क्योंकि ये पूरी तरह से अकादमिक हैं..."

30. इसलिए, इस विषय पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है और हम केवल कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर प्रकाश डालने का प्रस्ताव करते हैं। वे हैं:]

***30.1.** यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या उत्तर-पुस्तिका की जांच को अधिकार के रूप में अनुमति देता है, तो परीक्षा आयोजित करने वाला प्राधिकारी इसकी अनुमति दे सकता है;*

***30.2.** यदि किसी परीक्षा को नियंत्रित करने वाला कोई क़ानून, नियम या विनियम किसी उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति नहीं देता है (जो इसे प्रतिबंधित करने से अलग है) तो अदालत केवल तभी पुनर्मूल्यांकन या जांच की अनुमति दे सकती है, जब यह बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो, बिना किसी "तर्क की अनुमानात्मक प्रक्रिया या युक्तिकरण की प्रक्रिया द्वारा" और केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में जब कोई भौतिक त्रुटि हुई हो;*

***30.3.** अदालत को किसी भी उम्मीदवार की उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन या जांच नहीं करनी चाहिए-उसके पास इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है और शैक्षणिक मामलों को शिक्षाविदों पर छोड़ देना बेहतर है;*

***30.4.** न्यायालय को मुख्य उत्तरों की सत्यता का अनुमान लगाना चाहिए और उस अनुमान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए; और*

***30.5.** संदेह की स्थिति में लाभ अभ्यर्थी के बजाय परीक्षा प्राधिकारी को मिलना चाहिए।*

31. अपनी ओर से हम यह जोड़ सकते हैं कि उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश देने या न देने के मामले में सहानुभूति या

करुणा कोई भूमिका नहीं निभाती है। यदि परीक्षा प्राधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की जाती है, तो उम्मीदवारों के पूरे शरीर को नुकसान होता है। पूरी परीक्षा प्रक्रिया केवल इसलिए पटरी से उतरने लायक नहीं है क्योंकि कुछ उम्मीदवार निराश या असंतुष्ट हैं या उन्हें लगता है कि किसी गलत प्रश्न या गलत उत्तर के कारण उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है। सभी उम्मीदवारों को समान रूप से पीड़ा होती है, हालांकि कुछ को अधिक पीड़ा हो सकती है लेकिन इसमें मदद नहीं की जा सकती क्योंकि गणितीय परिशुद्धता हमेशा संभव नहीं होती है। इस न्यायालय ने गतिरोध से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है - संदिग्ध या अपमानजनक प्रश्न को बाहर कर दें।

32. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यायालय के कई निर्णयों के बावजूद, जिनमें से कुछ पर ऊपर चर्चा की गई है, परीक्षाओं के परिणाम में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। यह परीक्षा अधिकारियों को एक अविश्वसनीय स्थिति में रखता है जहां वे जांच के दायरे में हैं, न कि उम्मीदवार। इसके अतिरिक्त, एक विशाल और कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा प्रक्रिया अनिश्चितता की हवा के साथ समाप्त होती है। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार किसी परीक्षा की तैयारी में जबरदस्त प्रयास करते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षा अधिकारियों ने भी परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए समान रूप से महान प्रयास किए हैं। कार्य की विशालता बाद के चरण में कुछ चूक को उजागर कर सकती है, लेकिन अदालत को परीक्षा में सफलतापूर्वक भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए प्रयासों में हस्तक्षेप करने से पहले परीक्षा अधिकारियों द्वारा की गई आंतरिक जांच और संतुलन पर विचार करना चाहिए। वर्तमान अपीलें ऐसे हस्तक्षेप के परिणाम का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं जहां आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी परीक्षाओं के परिणाम को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। परीक्षा अधिकारियों के अलावा उम्मीदवार भी परीक्षा के परिणाम की निश्चितता या अन्यथा के बारे में आश्चर्यचकित रह जाते हैं - चाहे वे उत्तीर्ण हुए हों

या नहीं; क्या उनका परिणाम न्यायालय द्वारा अनुमोदित या अस्वीकृत किया जाएगा; उन्हें किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा या नहीं; और उन्हें भर्ती किया जाएगा या नहीं। यह असंतोषजनक स्थिति किसी के लाभ के लिए काम नहीं करती है और अनिश्चितता की ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप भ्रम और भी बदतर हो जाता है। इन सबका समग्र और बड़ा प्रभाव यह है कि सार्वजनिक हित प्रभावित होते हैं।

33. हमारे समक्ष मामले के तथ्यों से संकेत मिलता है कि प्रथम दृष्टया विद्वान एकलपीठ [रंजीत कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, 2012 एससीसी ऑनलाइन ऑल 268: (2012) 4 ऑल एलजे 19] ने वास्तव में पता लगाने की सात प्रश्नों के प्रमुख उत्तरों की शुद्धता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से परे था और जैसाकि इस न्यायालय ने कई मौकों पर निर्णय दिया था, किया गया कार्य अस्वीकार्य था। सौभाग्य से, खंडपीठ [यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन सभी 5788: (2016) 3 सभी एलजे 405] ने त्रुटि नहीं दोहराई, लेकिन एक तरह से, निर्णयों पर विचार न करके विद्वान एकलपीठ के दृष्टिकोण का समर्थन किया। यह न्यायालय एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार के लिए चार प्रमुख उत्तर भेज रहा है।

34. इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि उच्च न्यायालय (विद्वान एकलपीठ [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन सभी 268: (2012) 4 सभी एलजे 19] और साथ ही खंडपीठ [यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन सभी 5788: (2016) 3 सभी एलजे 405]) मुख्य उत्तरों की शुद्धता पर निर्णय लेने और हस्तक्षेप करने में कहीं अधिक सतर्क रहना चाहिए था, आज स्थिति यह है कि उत्तर-पुस्तिकाओं का तीसरा मूल्यांकन और परिणामों का तीसरा सेट अब घोषणा के लिए तैयार है। इस परिदृश्य को देखते हुए, हमारे सामने विकल्प यह है कि हम पूरी पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को अपास्त कर दें और 14-9-2010 को

घोषित परिणाम पर निर्भर रहें या परिणामों के तीसरे सेट के अनुसार चलें। परीक्षा अपास्त करना कोई विकल्प नहीं है। जो भी विकल्प चुना जाए, कुछ उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्हें कष्ट सहना पड़ेगा और उनकी नौकरी छूट जाएगी, जबकि कुछ लोग रोजगार के लिए विचार करने के पात्र हो सकते हैं।

35. हमारे सामने मौजूद विकल्पों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि मामले की परिस्थितियों में बीच का रास्ता शायद सबसे अच्छा रास्ता है। बीच का रास्ता परिणामों के तीसरे सेट को घोषित करना है क्योंकि बोर्ड ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत एक बड़े पैमाने पर कार्य किया है और फिर भी उन उम्मीदवारों की रक्षा की है जो अब असफल घोषित किए जा सकते हैं लेकिन पहले या दूसरे के परिणामस्वरूप प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। नतीजों की दूसरी घोषणा. यह भी संभव है कि परिणामों की तीसरी घोषणा के परिणामस्वरूप कुछ नए उम्मीदवारों का चयन हो सकता है और यदि ऐसा होता है, तो उन्हें समायोजित करने की आवश्यकता होगी क्योंकि पिछले अवसरों पर गलती से उनका चयन नहीं किया गया था।

36. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया कि यदि उनके ग्राहकों को परिणामों की तीसरी घोषणा के बाद चयनित नहीं किया जाता है, तो वे कई वर्षों तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के रूप में काम करने के कारण गंभीर रूप से पूर्वाग्रहग्रस्त होंगे। हालाँकि, हमने जो बीच का रास्ता चुना है, उससे उनकी सेवाएँ सुरक्षित रहेंगी और इसलिए, किसी भी अपीलार्थी द्वारा किसी भी शिकायत का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार, जिनका चयन नहीं हुआ है और दुर्भाग्य से वे छूट गए हैं, उन्हें समायोजित किया जाएगा।

37. हमारी चर्चा के परिणामस्वरूप और उत्पन्न होने वाली सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

***37.1.** दिनांक 2-11-2015 के निर्णय के परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा तैयार*

किए गए परिणाम [यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2015 एससीसी ऑनलाइन सभी 5788: (2016) 3 उच्च न्यायालय के सभी एलजे 405] को आज से दो सप्ताह के भीतर बोर्ड द्वारा घोषित किया जाना चाहिए।

37.2. *पिछले अवसरों पर परिणामों की घोषणा के अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त और कार्यरत अभ्यर्थियों को, यदि परिणामों की तीसरी घोषणा में असफल पाया जाता है, तो उन्हें सेवा से नहीं हटाया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।*

37.3 अब प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (परिणामों की तीसरी घोषणा के बाद) के रूप में नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों को राज्य द्वारा अतिरिक्त पद सृजित करके नियुक्त किया जाना चाहिए। हालाँकि, ये नव नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक किसी भी परिणामी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

38. समापन से पहले, हमें घटनाओं के उस मोड़ पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए जिसके कारण विद्वान एकलपीठ [रंजीत कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य, 2012 एससीसी ऑनलाइन ऑल 268: (2012) 4 ऑल एलजे 19] ने रिट के एक बैच पर विचार किया। याचिकाएँ, जिनमें से ये अपीलें उत्पन्न हुई हैं, भले ही इसी तरह की कई रिट याचिकाएँ पहले अन्य विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा अपास्त कर दी गई थीं। समन्वय पीठ द्वारा लिए गए विचार का सम्मान न्यायिक अनुशासन का एक अनिवार्य तत्व है। एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन इससे उसे विपरीत दृष्टिकोण को नजरअंदाज करने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है। मतभेद की स्थिति में, समय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए ताकि कानून के शासन के प्रति सम्मान प्रदर्शित हो सके।

39. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अपीलों और विविध आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

43. एच.पी. में लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर एवं अन्य (2010) 6 एससीसी 759 में रिपोर्ट किया गया, जिसे रण विजय सिंह और अन्य के मामले में संदर्भित किया गया है। बनाम राज्य ऊपर एवं अन्य. (सुप्रा.), माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि क़ानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान की अनुपस्थिति में, न्यायालय को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए, जबकि यह देखते हुए:

> ***24. उत्तर-पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन का मामला अब अंतिम प्रश्न नहीं रह गया है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ [(1984) 4 एससीसी 27: एआईआर 1984 एससी 1543] मामले में विस्तार से विचार किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस तर्क को अपास्त कर दिया था कि पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान, इस आशय का निर्देश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि नियमों/विनियमों में पुन: जांच/सत्यापन/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान न करने वाले नीतिगत निर्णय को भी तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि यह दिखाने के लिए आधार न हो कि नीति स्वयं कुछ वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा: (एससीसी पृष्ठ 39-40 और 42, पैरा 14 और 16)***
>
> *"14. ... यह विशेष रूप से विधायिका और उसके प्रतिनिधि के प्रांत के भीतर है कि वह नीति के एक मामले के रूप में यह निर्धारित करे कि क़ानून के प्रावधानों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है और क्या उपाय, मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक को नियमों में शामिल करना होगा।*
>
> *16. ... न्यायालय विधायिका और अधीनस्थ विनियमन-निर्माता निकाय द्वारा विकसित नीति की बुद्धिमत्ता पर निर्णय नहीं दे सकता। यह एक बुद्धिमान नीति हो सकती है जो अधिनियमन के उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावित करेगी या इसमें प्रभावशीलता की कमी हो सकती है और इसलिए इसमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन*

किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कर देगी और न्यायालय इसे इस आधार पर अपास्त नहीं कर सकता है कि, उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि मूर्खतापूर्ण भी है। और यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में काम नहीं आएगा।"

44. शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप के दायरे के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बसवैया (डॉ.) बनाम डॉ.एच.एल. रमेश, (2010) 8 एससीसी 372 में प्रकाशित मामले में निम्नलिखित मिवर्ष कायम की है:

*"**38.** हमने विधिक स्थिति को दोहराने और पुष्टि करने के लिए उपरोक्त निर्णयों पर विचार किया है कि शैक्षणिक मामलों में, अदालतों की बहुत सीमित भूमिका होती है, विशेषकर जब चयन समिति का गठन करने वाले विशेषज्ञों के खिलाफ कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया हो। आमतौर पर अदालतों के लिए निर्णय शिक्षाविदों और विशेषज्ञों पर छोड़ना विवेकपूर्ण, संपूर्ण और सुरक्षित होगा। सैद्धांतिक रूप से, अदालतों को कभी भी विशेषज्ञों के निर्णयों पर अपील करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अदालतों को शैक्षणिक मामलों में अपनी बाधाओं और सीमाओं को समझना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए।"*

45. श्रृंखला में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाम नेहा अनिल बोबडे, रिपोर्टर (2013) 10 एससीसी 519 में निम्नलिखित मिवर्ष कायम की है।:

*"**31.** हमारा विचार है कि, शैक्षणिक मामलों में, जब तक कि वैधानिक प्रावधानों, विनियमों या जारी अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन न हो, न्यायालय अपने हाथ दूर रखेंगी क्योंकि वे मुद्दे विशेषज्ञों के क्षेत्र में आते हैं। यह न्यायालय मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी.डी. गोविंदा राव [एआईआर 1965 एससी 491], तारिक इस्लाम बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय [(2001) 8 एससीसी 546: 2002 एससीसी (एल एंड एस) 1] और राजबीर सिंह दलाल बनाम चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय [(2008) 9 एससीसी 284: (2008) 2 एससीसी (एल एंड एस) 887], ने विचार किया है कि अदालत आम तौर पर विशेषज्ञ*

अकादमिक निकायों द्वारा व्यक्त की गई राय पर अपील में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आम तौर पर अदालतों के लिए अकादमिक विशेषज्ञों पर निर्णय छोड़ना बुद्धिमानी और सुरक्षित है। जो आम तौर पर अदालतों की तुलना में उनके सामने आने वाली समस्या से अधिक परिचित होते हैं। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में यूजीसी को विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए उचित कदम उठाने का कर्तव्य सौंपा गया है। उक्त मानकों को प्राप्त करने के लिए, यूजीसी किसी भी "योग्यता मानदंड" को निर्धारित करने के लिए खुला है, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, अर्थात शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के रखरखाव के लिए तर्कसंगत संबंध है। लेक्चरशिप के लिए पात्र घोषित किए गए उम्मीदवारों को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और ऐसे शिक्षण संकाय के मानक का विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा के मानकों के रखरखाव के साथ सीधा संबंध है। यूजीसी ने केवल योग्यता मानदंड निर्धारित करके विशेषज्ञों की राय को लागू किया है, जिसे मनमाना, अवैध या भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

46. टेनेसी वैली अथॉरिटी बनाम हीराम जी. हिल, जूनियर एट अल में अमेरिकी उच्चतम न्यायलय(437 यूएस 153, 57 एल एड 2डी 117, 98 एस सीटी 2279), अनुच्छेद 15 में, पृष्ठ 146 पर, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम पर तर्कसंगतता की न्यायिक समीक्षा की दलील से निपटते हुए, बताया कि ऐसा कार्य नहीं था अदालत, और कहा, “लुप्तप्राय प्रजातियों के विषय पर हमारे पास कोई विशेषज्ञ ज्ञान नहीं है, टेलिको बांध के किनारे इक्विटी का संतुलन बनाने के लिए हमारे पास लोगों से जनादेश तो बिल्कुल नहीं है।“

उक्त निर्णय में उद्धृत सर थॉमस मोर की टिप्पणियों के बारे में रॉबर्ट बोल्ट का एक अंश है, जो इस न्यायालय की राय में, ज्ञानवर्धक और प्रासंगिक है:

“कानून, रोपर, कानून। मैं जानता हूं कि क्या विधिक है, क्या सही नहीं।

और मैं उस पर कायम रहूंगा जो विधिक है...मैं भगवान नहीं हूँ. सही और ग़लत की धाराएँ और भंवर, जो आपको ऐसे सादे-से लगते हैं, मैं नेविगेट नहीं कर सकता, मैं कोई यात्री नहीं हूँ। लेकिन कानून के घेरे में, ओह, मैं एक वनपाल हूं... आप क्या करेंगे? शैतान तक पहुँचने के लिए कानून के माध्यम से एक महान रास्ता काटें? .... और जब आखिरी कानून ख़त्म हो गया, और शैतान ने तुम पर हमला कर दिया - तो तुम कहाँ छुपोगे, रोपर, सारे कानून सपाट हैं?... इस देश में तट से तट तक बहुत सारे कानून हैं-मनुष्य का कानून, भगवान के नहीं - और यदि आप उन्हें काटते हैं तो क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप उन हवाओं में सीधे खड़े रह सकते हैं जो उन्हें उड़ा देंगी?... हाँ, मैं अपनी सुरक्षा के लिए, शैतान को कानून का लाभ दूँगा" आर . बोल्ट, ए मैन फॉर ऑल सीज़न्स, एक्ट I, पी. 147 (थ्री प्लेज़, हेनीमैन संस्करण 1967)।"

यह न्यायालय रॉबर्ट बोल्ट द्वारा व्यक्त सर थॉमस मोर के विलाप से पूरी तरह सहमत है, हालांकि उपरोक्त रिपोर्ट में अमेरिकी उच्चतम न्यायलय द्वारा की गई टिप्पणी का केवल प्रेरक मूल्य है, और यह एक बाध्यकारी मिवर्ष नहीं है।

47. उपरोक्त के अलावा, इस मामले में एक विकट स्थिति यह भी उत्पन्न हुई है कि यहां कुछ याचिकाकर्तागण ने बिना किसी आपत्ति या पिछली उत्तर-कुंजी के विरोध के , इसके संबंध में अपनी आपत्तियां उठाते हुए, अनुच्छेद 226 के तहत सीधे इस न्यायालय से संपर्क किया है। भारत का संविधान निवारण की मांग कर रहा है, और इसलिए, रचनात्मक निर्णय न्याय के सिद्धांत के अनुसार, अब उन्हें उत्तर-कुंजी की शुद्धता पर प्रश्न उठाने से रोक दिया गया है। इसलिए, इस विलंबित चरण में, ऐसे उम्मीदवारों को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

48. रचनात्मक न्याय का सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV के तहत तैयार किया गया है। यह रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का कृत्रिम रूप है और यह प्रावधान करता है कि यदि किसी पक्ष द्वारा उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच की कार्यवाही में दलील दी जा सकती है, तो उसे संदर्भ के साथ बाद की कार्यवाही में एक ही विषय वस्तु के लिए. उसी पक्षकार के खिलाफ याचिका लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार, यह एक चिड़चिड़े मुकदमेबाज को वश में करने के सामान्य सिद्धांत

को उपयुक्त रूप से समझकर बार को ऊपर उठाने में मदद करता है। इसीलिए, इस नियम को 'रचनात्मक निर्णय' कहा जाता है।

49. यह प्रश्न, पहली बार, अमलगमेटेड कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठा जनपद सभा ने AIR 1964 SC 1013 में रिपोर्ट दी कि क्या रचनात्मक न्याय की अवधारणा को रिट याचिका में लागू किया जा सकता है या नहीं? हालाँकि, उस मामले में, माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका पर रचनात्मक न्याय के सिद्धांत के आवेदन को अपास्त कर दिया था, लेकिन उसके बाद, देवीलाल मोदी बनाम के प्रमुख मामले में बिक्री कर अधिकारी, रतलाम ने (1965) 1 एससीआर 686 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में रुख स्पष्ट करते हुए, एक ही पक्ष के बीच विविध विधिक कार्यवाही को रोकने के लिए सार्वजनिक नीति के विचारों पर रचनात्मक निर्णय का नियम रखा। ज्यूडिकाटा का मानना है कि यदि किसी पक्ष द्वारा उसके और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच की कार्यवाही में कोई दलील दी जा सकती है, तो उसे बाद की कार्यवाही में उसी पक्षकार के खिलाफ वह दलील लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कार्रवाई के समान कारण पर आधारित है और वह यह नियम वहां भी लागू होता है जहां पूर्व कार्यवाही एक रिट कार्यवाही है।

50. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन, (1977) 2 एससीसी 806, पैरा 3 और 4 में प्रकाशित मामले में दिए गए निर्णय में रचनात्मक पुनर्न्याय के सिद्धांत को खूबसूरती से समझाया गया है, जिसका पुनरुत्पादन नीचे किया गया है: -

> *"3. प्रति रेम ज्यूडिकैटम एस्टॉपेल का सिद्धांत साक्ष्य का एक नियम है। जैसाकि मार्जिन्सन बनाम ब्लैकबर्न बरो काउंसिल में कहा गया है, इसे "साक्ष्य का व्यापक नियम कहा जा सकता है जो कार्रवाई के कारण के पुन: दावे पर रोक लगाता है" यह सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है: (i) सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में समुदाय के सामान्य हित में विवादों के अंतिम समापन के लिए न्यायिक निर्णयों की अंतिमता और निर्णायकता, और (ii) व्यक्ति का हित जो वह मुकदमेबाजी को बढ़ने से बचाया जाना चाहिए। इसलिए जिन मामलों पर एक बार निर्णय*

हो चुका है, उन्हें दोबारा खोलने में बाधा डालकर यह न केवल सार्वजनिक बल्कि निजी उद्देश्य भी पूरा करता है। इस प्रकार उसी नागरिक राहत के लिए दूसरा निर्णय प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं है। कार्य का एक ही कारण, अन्यथा विवाद की भावना समान प्राधिकारी के परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दे सकती है, कार्यों की बहुलता को जन्म दे सकती है और न्याय प्रशासन को बदनाम कर सकती है। यह कार्य का कारण है जो किसी कार्य को जन्म देता है, और वह यही कारण है कि अदालतों के लिए यह पहचानना आवश्यक है कि कार्रवाई का कारण जिसके परिणामस्वरूप निर्णय आता है, उसे अपनी पहचान और जीवन शक्ति खो देनी चाहिए और सुनाए जाने पर निर्णय में विलीन हो जाना चाहिए। इसलिए यह निर्णय से बच नहीं सकता है, या उन्हीं तथ्यों पर कार्रवाई का कोई अन्य कारण उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसे ही न्यायिक निर्णय के सामान्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है।

4. लेकिन यह हो सकता है कि तथ्यों का एक ही सेट कार्रवाई के दो या दो से अधिक कारणों को जन्म दे सकता है। यदि ऐसे मामले में किसी व्यक्ति को एक समय में कार्रवाई के एक कारण को चुनने और मुकदमा करने की अनुमति दी जाती है और दूसरे को बाद की मुकदमेबाजी के लिए आरक्षित करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी का बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए अदालतों ने इस तरह की कार्रवाई को अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग माना है और सोमरवेल, एल.जे. ने ग्रीनहाल्घ बनाम मल्लार्ड में इसका उत्तर इस प्रकार दिया है:

"मुझे लगता है कि जिन प्राधिकारियों को मैं संदर्भित करूंगा, उनके लिए यह कहना सही होगा कि इस उद्देश्य के लिए न्यायिक निर्णय उन मुद्दों तक ही सीमित नहीं है, जिन पर अदालत को वास्तव में निर्णय लेने के लिए कहा गया है, बल्कि इसमें उन मुद्दों या तथ्यों को शामिल किया गया है जो बहुत स्पष्ट हैं मुकदमे की विषय-वस्तु का हिस्सा और इतना स्पष्ट रूप से उठाया जा सकता था कि उनके संबंध में नई कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग

होगा।"

"इसलिए यह उसी सिद्धांत का एक और समान रूप से आवश्यक और प्रभावकारी पहलू है, क्योंकि यह एक चिड़चिड़े वादी को वश में करने के सामान्य सिद्धांत को उपयुक्त रूप से समझाकर न्यायिक निर्णय के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। यही कारण है कि इस अन्य नियम को कुछ बार संदर्भित किया गया है रचनात्मक निर्णय के रूप में, जो वास्तव में, सामान्य सिद्धांत का एक पहलू या प्रवर्धन है।"

51. फॉरवर्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम प्रभात मंडल (पंजीकृत), अंधेरी, ने (1986) 1 एससीसी 100 में प्रकाशित निर्णय में स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा कि एक निर्णय न केवल निर्धारित वास्तविक मामले के लिए निर्णायक और अंतिम है, बल्कि हर दूसरे मामले के लिए भी है जो पार्टियां कर सकती हैं और मुकदमेबाजी करनी चाहिए थी और मुकदमेबाजी के विषय वस्तु और दावे और बचाव दोनों के मामलों के संबंध में मूल कार्रवाई के वैध दायरे में आने वाले प्रत्येक मामले से संबंधित आकस्मिक के रूप में निर्णय लेना चाहिए था। इस प्रकार, सीपीसी की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में अंतर्निहित रचनात्मक न्यायिक न्याय के सिद्धांत को रिट मामले में लागू किया गया था।

52. 150 वर्ष से भी पहले, हेंडरसन बनाम में इंग्लिश कोर्ट ऑफ चांसरी हेंडरसन, (1843) 3 हरे 100, 67 ईआर 313, ने पुष्टि की कि एक पक्ष बाद की मुकदमेबाजी में कोई दावा नहीं उठा सकता है जिसे उन्हें पिछली कार्रवाई में उचित रूप से उठाया जाना चाहिए। उस मामले में, कुलपति, सर जेम्स विग्राम ने इस प्रकार कहा:

"मेरा मानना है कि जब मैं कहता हूं कि मैं न्यायालय के नियम को सही ढंग से बताता हूं, जहां कोई मामला सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में मुकदमेबाजी और उसके द्वारा निर्णय का विषय बन जाता है, तो न्यायालय को उस मुकदमे के पक्षों से अपनी बात सामने लाने की आवश्यकता होती है। संपूर्ण मामला, और (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) समान पक्षों को मामले के संबंध में मुकदमेबाजी के उसी विषय को खोलने की अनुमति नहीं देगा, जिसे प्रतियोगिता में विषय के हिस्से के रूप में आगे लाया जा सकता था, लेकिन जिसे आगे नहीं लाया गया था, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने लापरवाही, असावधानी या यहां तक कि दुर्घटना के कारण अपने मामले का एक हिस्सा छोड़ दिया है। . . . . "

उक्त निर्णय का कई बार अनुमोदन के साथ एक अच्छे कानून के रूप में पालन और उद्धृत भी किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- *जॉनसन बनाम गोर वुड एंड कंपनी, [2000] यूकेएचएल 65*
- *वर्जिन अटलांटिक एयरवेज़ लिमिटेड बनाम ज़ोडियाक सीट्स यूके लिमिटेड, [2013] यूकेएससी 46*
- *अर्नोल्ड बनाम नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक पीएलसी, [1991] 2 एसी 93*
- *डेक्सटर बनाम वेलीलैंड-बॉडी, [2003] ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 14*
- *एल्डि स्टोर्स बनाम डब्ल्यूएसपी ग्रुप पीएलसी, [2008] 1 डब्लूएलआर 748*
- *हेनले बनाम ब्लूम, [2010] 1 डब्लूएलआर 1770*

यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि हेंडरसन बनाम हेंडरसन (सुप्रा.) में निर्धारित कानून एक बाध्यकारी मिवर्ष नहीं है, लेकिन इसका प्रेरक महत्व है।

53. यद्यपि माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक केस कानूनों का उल्लेख रण विजय सिंह एवं अन्य बनाम यूपी राज्य एवं अन्य. (सुप्रा.), में किया गया है। हालाँकि, वर्तमान निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, उन पूर्ववर्ती कानूनों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को इस निर्णय में भी संक्षेप में रेखांकित करने की आवश्यकता है।

54. जैसाकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य, (2011) 8 एससीसी 497 में उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का निर्णय महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष भूपेश कुमार शेठ (1984) 4 एससीसी 27 में प्रकाशित को मंजूरी दे दी गई है और बाद के निर्णयों में इसका पालन किया गया है। यदि पुनर्मूल्यांकन को अधिकार के रूप में अनुमति दी जानी है, तो इससे अत्यधिक भ्रम की स्थिति पैदा होने के अलावा घोर और अनिश्चित अनिश्चितता पैदा हो सकती है। उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर और अभ्यर्थियों के लिए केवल पुनर्गणना तक ही सीमित रखने के उपाय को वैध माना गया है। हालाँकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संदर्भ में, परीक्षार्थी को उत्तर-पुस्तिकाओं का निरीक्षण करने या उसकी प्रमाणित प्रति लेने का अधिकार होगा।

55. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा एवं अन्य बनाम डी. सुवंकर एवं अन्य, (2007) 1 एससीसी 603 में प्रकाशित में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सुप्रा.) में उसके द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और माना कि यह सार्वजनिक हित में है। सार्वजनिक परीक्षा के परिणाम जब प्रकाशित हों तो उसमें अंतिम रूप से संलग्न होना चाहिए। यदि उम्मीदवारों की उपस्थिति में निरीक्षण और सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दी जाती है, तो इससे परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर और अनिश्चित अनिश्चितता पैदा हो सकती है। इसलिए, ऐसे मामलों में, न्यायालय को विशेषज्ञों के विचारों के स्थान पर अपने विचारों को प्रतिस्थापित करने में बेहद सावधान और अनिच्छुक होना चाहिए। हालाँकि, उच्चतम न्यायालय ने चेतावनी देते हुए कहा कि वास्तविक वास्तविकताओं और जमीनी समस्याओं से अलग इस प्रकृति की समस्याओं के प्रति पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाना न्यायालय के लिए पूरी तरह से गलत होगा। इन परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक परीक्षक द्वारा अंक देना निष्पक्ष होना चाहिए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, परीक्षक को न केवल सावधान रहना होगा, बल्कि उसका कर्तव्य भी है। सुनिश्चित करें कि उत्तरों का उचित मूल्यांकन किया गया है। मौका या भाग्य का कोई तत्व प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान का अभाव परीक्षक के लिए उत्तर-पुस्तिकाओं का मनमाने ढंग से मूल्यांकन करने के लिए ढाल नहीं बन सकता है। यह उस अवधारणा के विरुद्ध होगा जिसके लिए पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है।

56. सचिव, डब्ल्यू.बी. माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाम अयान दास और अन्य ने (2007) 8 एससीसी 242 में प्रकाशित में उच्चतर, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उड़ीसा और अन्य बनाम डी. सुवनकर एवं अन्य (सुप्रा.) में लिए गए दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी गई है।

57. ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्मूल्यांकन की अनुमेयता के संबंध में उपरोक्त स्थिति को छोड़ दिया गया है, जब यह गलत उत्तर-कुंजी का उपयोग करके गलत मूल्यांकन का मामला है। राजेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार और अन्य, (2013) 4 एससीसी 690 में प्रकाशित मामले में उच्चतम न्यायालय का विचार था कि यदि मॉडल उत्तर-कुंजी जो मूल्यांकन के लिए आधार बनाती है, गलत/दोषपूर्ण थी, तो ऐसे मूल्यांकन के आधार पर

तैयार किया गया परिणाम ग़लत भी हो, दोषपूर्ण उत्तर-कुंजी लागू करने से परिणाम दूषित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, मॉडल उत्तर-कुंजी को जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजने के उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया गया, जिन्होंने अपनी जांच के दौरान कई उत्तर गलत पाए थे। इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायलय ने माना कि ऐसी प्रकृति के मामले में, उच्च न्यायालय रिट याचिका में मांगी गई राहत को ढालने का पात्र होगा।

58. बार में प्रचारित प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि किसी भी उद्देश्य के लिए परीक्षा के संचालन से संबंधित कोई भी मामला, चाहे वह सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए हो या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मामले में, न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। न्यायाधीश सुपर-परीक्षकों की भूमिका नहीं निभाते हैं और न्यायालयों को अपीलीय निकाय के रूप में भी कार्य नहीं करना है। न्यायालय आम तौर पर परीक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों या अंकों के मूल्यांकन या मूल्यांकन की समीक्षा नहीं करती हैं। एक बार मूल्यांकन हो जाने के बाद, न्यायालय उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन करने से बचते हैं। उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्र के विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के मामले में न्यायालय की भूमिका न्यूनतम है। अदालतों को ऐसे मामलों में अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और सुपर-परीक्षकों की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

59. अब जबकि कानून के सिद्धांत इस न्यायालय के समक्ष हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार जिन्हें न्यायिक रूप से यहां प्रस्तुत किया गया है, यह न्यायालय निम्नलिखित पैराग्राफ में, केवल उन प्रश्नों/उत्तरों का उल्लेख करना उचित समझता है, जो उसकी राय यह न्यायालय 'स्पष्ट रूप से गलत' प्रतीत होता है, और यह अपेक्षा करता है कि, उपरोक्त पूर्ववर्ती पृष्ठभूमि के आलोक में, यह न्यायालय उन प्रश्नों/उत्तरों की शुद्धता या अन्यथा के संबंध में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझता है, ताकि विशेषज्ञों के निष्कर्षों को अपने निष्कर्षों से प्रतिस्थापित करें।

60. इस समय, विशेषज्ञों/प्रत्यर्थी-आयोग के अनुसार पेपर-वार प्रश्न और सही उत्तर उद्धृत करना उचित और समीचीन माना जाता है, जिसके संबंध में वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, और यह उन प्रश्नों और उत्तरों के संबंध में, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से, और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से किए गए विश्लेषण का भी पालन करेगा।

<u>"सामान्य ज्ञान पेपर - I</u>

प्रश्न 17 निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अहार संस्कृति स्थलों से संबद्ध नहीं है?

(i) चावल (ii) काले

(iii) तांबे की वस्तुएं (iv) पेंटेड ग्रेवेयर आरपीएससी

का सही उत्तर (घ) अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट के साथ संलग्न साक्ष्य से पता चलता है कि विकल्प (घ) को छोड़कर अन्य सभी तीन विकल्प, एएचएआर संस्कृति से जुड़े हैं, और इसलिए, उत्तर (घ) अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर सही है। हालांकि, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से यह मामला बनाने की कोशिश की है कि पेंटेड ग्रेवेयर भी एएचएआर संस्कृति का हिस्सा था, लेकिन उपलब्ध कराए गए साहित्य की जांच करने पर, उत्तर (घ) अर्थात पेंटेड ग्रेवेयर, सही है।

प्रश्न 23. *महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया, यह कब तक मेवाड़ की राजधानी रही?*

(i) 1597 *(ii) 1605*

(iii) 1609 *(iv) 1615*

आरपीएससी (घ) का सही उत्तर अर्थात 1615

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

इस न्यायालय ने देखा है कि कर्नल टॉड द्वारा लिखित पुस्तक, अर्थात्, राजस्थान का इतिहास (भाग I) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चावड़ 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रही। स्कूली किताबों के आधार पर याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया खंडन, जो बोलता है कि अट्ठाईस वर्षों तक, यहाँ तक कि 1615 में भी, चावड़ मेवाड़ की राजधानी बनी रही।

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट के साथ संलग्न

साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि 1615 राजधानी के परिवर्तन का सटीक वर्ष था। इस प्रकार, उत्तर (iv) सही है।

सामान्य ज्ञान (हिन्दी एवं संस्कृत)।

प्रश्न 24. *निम्नलिखित में से उन नेताओं को चुनें जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था?*

(i) साधु सीताराम दास (ii) विजय सिंह पथिक

(iii) माणिक्य लाल वर्मा (iv) नारायण जी पटेल विकल्प:

विकल्प:

(A) 1, 2, 4 *(B) 1, 2*

(C) 1, 2, 3, 4 *(D) 1, 2,3*

RPSC (C) का सही उत्तर अर्थात 1, 2, 3, 4

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

जांच की गई विभिन्न पुस्तकें उन नेताओं के संयोजन की ओर इशारा करती हैं, जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, लेकिन यह आपत्ति कि नारायण जी पटेल इसका हिस्सा नहीं थे, स्पष्ट रूप से गलत सिद्ध हुई है, क्योंकि प्रस्तुत साक्ष्य से स्पष्ट है कि नारायण जी पटेल थे बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत में किसान नेता के रूप में शामिल हुए, जिसकी शुरुआत सितंबर 1918 में बेगार देने से इनकार करने के कारण उनकी गिरफ्तारी से हुई।

इसलिए, विकल्प (ग) अर्थात 1,2,3,4 सही है।

प्रश्न 26 *निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल मामले से संबंधित नहीं था*

(i) राम करण (ii) मोहन लाल जालोरी

(iii) थापनकेसरी सिंह बहुत (iv) सोम दत्त लाहरी

आरपीएससी का सही उत्तर (ii) अर्थात मोहन लाल जालोरी

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

विशेषज्ञ रिपोर्ट के साथ संलग्न साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, जो दर्शाता है कि विकल्प (ii) अर्थात मोहन लाल जालोरी को छोड़कर अन्य सभी तीन विकल्प सीधे तौर पर महंत प्यारे लाल की हत्या में शामिल थे। इसलिए, विकल्प (ii) अर्थात मोहन लाल जालोरी सही उत्तर है।

प्रश्न 37 *संगीत पर निम्नलिखित में से कौन सा पाठ राणा कुम्भा द्वारा लिखा गया था?*

(क) संगीतराज *(ख) संगीत मिमोसा*

(ग) सुधप्रभांत *(घ) कला निधि*

विकल्प:

(1) A,B *(2) A, C, D*

(3) A, B, C *(4) A, B, C, D*

आरएसपीसी का सही उत्तर (1) अर्थात ए, बी

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी का उत्तर (1) अर्थात ए, बी, स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि (ग) सुधप्रभांत को बाहर करने का कारण यह है कि ग्रंथ 'सुधप्रभांत' को सही के रूप में गलत लिखा गया है। ग्रंथ का नाम "सुधप्रबंध" है, जो उत्तर को गलत बताता है।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

प्रश्न 51 *निम्नलिखित में से किस शहर ने W.S.F की भारत में पहली बार बैठक की मेजबानी की?*

(i) मुंबई *(ii) नई दिल्ली*

(iii) जयपुर *(iv) चेन्नई*

आरपीएससी का सही उत्तर (1) मुंबई

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रश्न "वैश्वीकरण और उसके

प्रभाव" शीर्षक के तहत पाठ्यक्रम के भीतर है।

इसलिए, उत्तर (1) अर्थात मुंबई सही है।

***प्रश्न 53** भारत संघ के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य के विलय के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए*

(i) 22 अक्तूबर, 1947 (ii) 24 अक्तूबर, 1947

(iii) 25 अक्तूबर, 1947 (iv) 26 अक्तूबर, 1947

आरपीएससी का सही उत्तर (4) यानि 26 अक्तूबर, 1947

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि उक्त प्रश्न पैरा 3 (भारत की संघीय प्रणाली) के शीर्षक के तहत पाठ्यक्रम के भीतर है।

इसलिए, उत्तर (4) अर्थात 26 अक्तूबर 1947 सही है।

***प्रश्न 98** निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है?*

(i) कृष्णा *(ii) गोदावरी*

(iii) महानदी *(iv) पेरियार*

प्रश्न हटा दिया गया क्योंकि सही उत्तर कावेरी था जो कि कोई भी विकल्प नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि प्रश्न का विलोपन इस आधार पर किया गया था कि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि 'गोदावरी' को 'दक्षिण की गंगा' के रूप में भी जाना जाता था।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया।

<u>संस्कृत</u>:

6.'अपुत्रः' अत्र समास-

(1) नन्तत्पुरूशः

(2) बहुव्रीहिः

(3) अव्ययीभावः

(4) कर्मधारयः

विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार विकल्प क्रमांक 1 और विकल्प क्रमांक 2 दोनों सही थे, इसलिए विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार प्रश्न हटा दिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ रिपोर्ट आत्म-व्याख्यात्मक है और सामग्री से पता चलता है कि इस प्रश्न के कई सही उत्तर हैं।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया।

8- अध्येता' इति तृच्प्रत्ययान्तपदेधातूपसर्गौस्तः

(1) अधि इण

(2) अधि इंड्

(3) अधि इल्

(4) अधि एड्

विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार विकल्प क्रमांक 1 और विकल्प क्रमांक 2 दोनों सही थे, इसलिए विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार प्रश्न हटा दिया गया है। प्रश्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ रिपोर्ट आत्म-व्याख्यात्मक है और सामग्री से पता चलता है कि इस प्रश्न के कई सही उत्तर हैं।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया।

43. 'हन् धातोः लड्लकार मध्यमपुरूश एकवचने रूपंस्यात्-

(1) अहत्

(2) अहः

(3) अहन्

(4) अह्नन्

विकल्प क्रमांक 4 सही उत्तर है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि विकल्प (3) अर्थात अहन् सही उत्तर है। हालाँकि, विकल्प (4) अर्थात RPSC का अह्नन् भी सही प्रतीत होता है।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

104. निश्क्रमणसंस्कारस्य कालः

(1) चतुर्थे मासे

(2) द्वितीय मासे

(3) शश्ठे मासे

(4) अश्टमे मासे

कई विकल्प सही होने के कारण प्रश्न हटा दिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि इस प्रश्न के कई सही उत्तर होने के आधार पर इस प्रश्न को सही ढंग से हटा दिया गया है।

***109**. पठनकौषलाभिवृद्वो कोयं विधिः प्राथमिकतां भजतेघ्*

(1) पदपद्वतिः

(2) वाक्यविधिः

(3) कथापद्वतिः

(4) वर्णसमाम्नायविधिः

विकल्प क्रमांक 2 सही उत्तर है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि प्रासंगिक प्रमाण यह संकेत देते हैं कि विकल्प (1) पदपद्वतिः और विकल्प (2) वाक्यविधिः, दोनों सही उत्तर हैं।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

117. नाटकषिक्षणविधिशु दोशाणामाधारेण श्रेश्ठ इति- आद्रियते।

(1) कक्षाभिनयविधिः

(2) व्याख्या विधिः

(3) समवाय विधिः

(4) रंगमष्वाभिनयविधिः

विकल्प क्रमांक 3 सही है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विकल्प (3) अर्थात लीक; RPSC का समवाय विधिः सही है।

हिंदी:

26*- 'जरठ - जठर' शब्द-युग्म का अर्थ है-*

(1) जड़ीबूटी-शरीर (2) वृद्व-ज्वाला

(3) जवान-पेट (4) बूढा-पेट

आरपीएससी ने विकल्प (4) अर्थात बूढा-पेट को सही उत्तर माना है। चूंकि इस प्रश्न की सत्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवारों ने इस प्रश्न की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया, जबकि उन्हें प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा करने का अवसर दिया गया था।

79- *"काव्यषोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः।" काव्य गुण की यह परिभाशा किस आचार्य ने प्रस्तुत की है-*

(1) भामह (2) दंडी

(3) मम्मट (4) वामन

कि आरपीएससी ने विकल्प (4) अर्थात वामन को सही उत्तर माना है। चूंकि इस प्रश्न की सत्यता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, इसलिए विशेषज्ञ समिति द्वारा इसकी जांच नहीं की गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि उम्मीदवारों ने इस प्रश्न की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया, जबकि उन्हें प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा करने का अवसर दिया गया था।

103- *निम्नांकित कहानी आंदोलनों एवं उनके सूत्रधारों से सम्बन्धित युग्मों में से कौन सा युग्म असंगत है-*

(1) सेचतन कहानी - महीपसिंह

(2) समानांतर कहानी - कमलेश्वर

(3) अकहानी - निर्मल वर्मा

(4) सहज कहानी - राजेन्द्र यादव

विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार विकल्प संख्या 3 और विकल्प संख्या 4 दोनों सही थे, इसलिए, विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार प्रश्न हटा दिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया

विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया है।

***106**- कौन सा समुच्चय सुमेलित नहीं है-*

(1) नये बादल, जानवर और जानवर, जख्म-मोहन राकेश

(2) विपथगा, शरणार्थी, अमर वल्लरी-जैनेन्द्र

(3) अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमल, टूटना - राजेन्द्र यादव

(4) शमी कागज, खुदा की वापसी, सबीना के चालीस चोर-नासिरा शर्मा

विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार विकल्प संख्या 2 और विकल्प संख्या 3 दोनों सही थे, इसलिए, विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार प्रश्न हटा दिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया है।

***113**."जिण बन भूल न जांवता गैंद गवय गिडराज तिण बन जंबुक ताखड़ा ऊधम मंडै आज।" उपर्युक्त छंद के अनुसार सिंह के वन में कौन धमाचैकड़ी मचा रहा है-*

(1) गीदड़ (2) हाथी

(3) गेंडा (4) शूकर

विशेषज्ञ समिति की सलाह के अनुसार उक्त प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का पाये जाने के कारण प्रश्न को विलोपित किया जाता है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

स्वयं व्याख्यात्मक है।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया है।

123*- हिकाल खण्ड योजना किस विधि का विभाजन है:-*

(1) व्याख्यान विधि

(2) सम्बाय विधि

(3) प्रयवेक्षित अध्यन विधि

(4) व्यक्तिरेख विधि

'गलत प्रश्न छप जाने के कारण प्रश्न हटा दिया गया, द्विकाल के स्थान पर 'हिकाल' अंकित हो गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया है।

सामान्य ज्ञान (सामाजिक विज्ञान):

प्रश्न 7 *निम्नलिखित में से कौन सी ईशोयेट पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा है*

(i) 15 सेमी *(ii) 25 सेमी*

(iii) 40 सेमी *(iv) 80 सेमी*

आरपीएससी का सही उत्तर (3) अर्थात 40 सेमी

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि यद्यपि आरपीएससी के अनुसार, विकल्प (3) अर्थात 40 सेमी सही उत्तर है, लेकिन प्रस्तुत प्रमाण के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि उत्तर (2) अर्थात वहां 25 सेमी है

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

प्रश्न 8 *भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस, इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण के अंतर्गत कुल क्षेत्र है*

(i) 70% *(ii) 67%*

(iii) 65% *(iv) 59%*

आरपीएससी का सही उत्तर (2) अर्थात 67%

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह न्यायालय उत्तर पाता है (ii) आरपीएससी का अर्थात 67% सही है।

प्रश्न 15 निम्नलिखित में से आहार के बारे में कौनसा वाक्य सही नहीं है:-

(1) आहर की खुदाई से मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ा है।

(2) मकान ईंटों की नींव पर बनाए जाते थे।

(3) मिट्टी या मिट्टी की ईंटों की सभी ऊपरी संरचनाएँ ख़त्म हो गई हैं

(4) अहारियों ने दीवारों और नींव को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज नोड्यूल और चिप्स मिलाया।

आरपीएससी का सही उत्तर (2) अर्थात मकान ईंट की नींव पर बनाए गए थे।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी का उत्तर (2) अर्थात 'मकान ईंट की नींव पर बनाए गए थे' सही है।

प्रश्न 84 *जो टर्मन के अनुसार बहुत श्रेष्ठ होते हैं*

(i) 140.00 से ऊपर IQ *(ii) 120-125 IQ*

(iii) 110-115 IQ *(iv) 110 से नीचे IQ*

आरपीएससी का सही उत्तर (1) अर्थात 140 आईक्यू

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी का उत्तर (1) अर्थात '140.00 आईक्यू से ऊपर' सही है।

प्रश्न 95 *भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार है:*

(i) 8'6'-37 4'N & 68 7' E-97 25'E (ii)8'4'N-37 6'N & 68 7'E-97 25' E

(iii)6'4'N-37 6'N & 68 7'E-97 25'E(iv)6'4'N-37 4'N & 68 7'E-97 25'E

आरपीएससी का सही उत्तर (2) i.e. 8'4'N-37 6'N & 68 7'E-97 25' E.

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

आरपीएससी ने प्रदर्शित किया है कि भारत की अक्षांशीय और अनुदैर्ध्य सीमा की माप 'कन्याकुमारी' से की गई है, जबकि याचिकाकर्तागण ने दर्शाया है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'इंदिरा पॉइंट' से की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार, सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी का उत्तर अर्थात (2) अर्थात 8'4'एन-37 6'एन और 68 7'ई-97 25' ई स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होता है। इसलिए, सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के रूप में लिया गया है।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

सामाजिक विज्ञान:

प्रश्न 13 *2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत है*

(i) 83.78 और 76.60 *(ii) 81.51 और 67.06*

(iii) 79.63 और 66.77 *(iv) 82.14 और 65.0*

आरपीएससी का सही उत्तर (4) अर्थात 82.14 और 65.0 है

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि भाषा में कोई विसंगति नहीं है।

प्रश्न 17 *यदि व्यक्तिगत आय 50000/- है और व्यक्तिगत आयकर 2000/- है, खपत 42,000/- है, व्यक्तिगत ब्याज भुगतान 2000/- है और व्यक्तिगत बचत 4000/- है, तो प्रयोज्य आय बराबर है*

(i) 42,000/- *(ii) 44,000/-*

(iii) 46,000/- *(iv) 48,000/-*

आरपीएससी का सही उत्तर है (4) अर्थात 48,000/-

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विकल्प (iii) अर्थात 46,000/- भी सही प्रतीत होता है।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए]।

प्रश्न 21 *पैसा वह है जो पैसा करता है पैसे की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है*

(i) हार्टले विदर्स (ii) मार्शल

(iii) एफ.ए.वॉकर (iv) क्राउथर

एक से अधिक उत्तर होने के कारण आरपीएससी ने प्रश्न हटा दिया

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

अत: इस प्रश्न का विलोपन उचित ही किया गया है।

प्रश्न 65 *जनरलिस्ट सिविल सर्विसेज के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें*

(i) वे मुख्य रूप से अधिकांश प्रशासनिक शीर्ष पर कार्य करते हैं

(ii) वे कुछ संगठनों के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं

(iii) वे मंत्रियों को सलाह देते हैं

(iv) वे कुछ सार्वजनिक उद्यमों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं

नीचे: कोड:

(1) i,ii,iii,iv (2) i,ii,iii

(3) i,iii (4) i

आरपीएससी का सही उत्तर (1)

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि जनरलिस्ट सिविल सेवा उपरोक्त सभी पदों पर काम करती है। ***इसलिए, आरपीएससी (1) का उत्तर अर्थात i,ii,iii,iv सही है।***

प्रश्न 76 *जैन धर्म में मुक्त व्यक्ति को जीवनमुक्त कहा जाता है*

(i) अर्हत (ii) केवली

(iii) स्तोत्पन्न (iv) शरतवगर्ज

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि विशेषज्ञ रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है।

इसलिए, आरपीएससी (1) अर्थात अर्हत का उत्तर सही है।

प्रश्न 78 *अशोक के शिलालेख की भाषा है*

(i) प्राकृत (ii) प्राकृत और खरोष्ठी

(iii) प्राकृत, खरोष्ठी और अरामी (iv) प्राकृत, अरामी और ग्रीक

आरपीएससी का सही उत्तर (4) है अर्थात प्राकृत, अरामी और ग्रीक

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी (4) अर्थात

प्राकृत, अरामी और ग्रीक का उत्तर स्पष्ट रूप से गलत प्रतीत होता है।

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए।]

प्रश्न 90 *एक बिंदु पर एक सामान्य संतुलन स्थापित होता है*

(i) MU1/MU2 = P1/P2

(ii) MU1/MU2 = P1/P2 आय की सीमांत उपयोगिता

(iii) MU1/P1 = MU2/P2 आय की सीमांत उपयोगिता

(iv) ये सभी

आरपीएससी का सही उत्तर है (4) अर्थात ये सभी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी (4) का उत्तर अर्थात ये सभी सही हैं।

प्रश्न 112 *प्रशासन में लोगों की भागीदारी के औपचारिक तरीकों में शामिल हैं*

(i) चुनाव

(ii) दबाव समूह

(iii) सलाहकार समितियाँ

(iv) सूचना का अधिकार

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(1) (i) और (iii)

(2) (ii) और (iii)

(3) (i), (iii) और (iv)

(4) (i), (ii), (iii) और (iv)

RPSC(3) अर्थात सलाहकार समिति का सही उत्तर

"उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर उत्तर को विकल्प (3) के रूप में बदल दिया गया।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से प्रश्न और उत्तर के संबंध में किया गया विश्लेषण और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ:

सावधानीपूर्वक जांच के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि आरपीएससी का उत्तर (iii) सलाहकार समिति का उत्तर *जाहिर तौर पर गलत प्रतीत होता है।*

[इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा दोबारा जांच की जानी चाहिए]।

लगातार दो तारीखों पर प्रश्नों और उत्तरों की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने केवल उन प्रश्नों को इंगित किया है, जो स्पष्ट रूप से गलत हैं, लेकिन यह न्यायालय विशेषज्ञों की राय को अपनी राय से प्रतिस्थापित करने में बहुत झिझक रहा है, और इसलिए, यह न्यायालय ऐसा नहीं करना चाहता है। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए उत्तरों को उसकी अपनी सादृश्यता के अनुसार प्रतिस्थापित करें, और केवल यह चाहते हैं कि भाग लेने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम सटीकता और अंतिम विश्वास प्राप्त करने के लिए, विशेषज्ञों द्वारा पुन: परीक्षण के लिए निर्धारित किए गए प्रश्नों को, जैसाकि ऊपर दिया गया है, विशेषज्ञ समिति को फिर से भेजा जाएगा।

61. आजकल यह आम बात हो गयी है कि आयोग द्वारा किये गये चयनों की संख्या पर किसी न किसी बहाने से प्रश्न उठाए जा रहे हैं और उनकी न्यायिक समीक्षा की मांग की जा रही है। सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में इस प्रकार की विसंगतियाँ, स्पष्ट रूप से, एक शिक्षित बेरोजगार युवा की दुर्दशा का कारण बनती हैं, जो हालांकि सार्वजनिक रोजगार की आकांक्षा रखते हैं - जिनमें से कुछ - अपने करियर की दहलीज पर हैं, लेकिन अपनी बारी आने के लिए निराशा में विलाप कर रहे हैं शिक्षित बेरोजगारों की लम्बी कतार में।

62. उपरोक्त दृढ़ संकल्प के सामने, कानून की उपरोक्त संपूर्ण व्याख्या और अक्सर घोषित चेतावनी के साथ कि विधिक न्यायालय को विशेषज्ञों का काम अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, प्रश्न-पत्रों की जांच नहीं करनी चाहिए और खुद ही उत्तर देना चाहिए, उस पर अपनी राय दर्ज करनी चाहिए और विशेष रूप से, विवादित प्रश्नों/उत्तर-कुंजी के संबंध में विशेषज्ञ समिति के खिलाफ पूर्वाग्रह या दुर्भावनापूर्ण या असंगत विचार के किसी भी आरोप

के अभाव में, परिणामी ऑपरेटिव निर्देश जारी करें, यह न्यायालय शिकायत में दखल देने का इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्तागण द्वारा विवादित कागजात से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उनके उत्तरों के मूल्यांकन के संबंध में उठाए गए, जिसमें गलत प्रश्न/उत्तर भी शामिल हैं, और न ही यह न्यायालय याचिकाकर्तागण को इस संबंध में कोई छूट देने के लिए इच्छुक है।

63. हालाँकि, प्रत्यर्थी-आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे सार्वजनिक सेवा में भर्ती करने की उच्च ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, उससे उत्तर लिपियों के मूल्यांकन के लिए एक उच्च मानक बनाए रखने की आशा की जाती है ताकि चयन प्रक्रिया की शुद्धता दूषित न हो और देश के लोग आयोग द्वारा चयन के संचालन में विश्वास और भरोसा बनाए रखते हैं। यह और भी आवश्यक है, इस तथ्य के मद्देनजर कि प्रत्यर्थी-आयोग को उसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की संख्या के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष के रूप में खड़ा किया जा रहा है, कि प्रत्येक को अपास्त करना आयोग पर एक कठिन कर्तव्य है और हर संभावना से, मजबूर होकर, बेरोजगार युवा खुद को अदालतों के समक्ष वादी के रूप में घसीट रहे हैं, जिससे अदालतों पर भी ऐसे अनुचित मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है। ऐसा होने पर, हालांकि, उपरोक्त पूर्ववर्ती पृष्ठभूमि के आलोक में पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं है, प्रत्यर्थी-आयोग को उत्तर लिपियों के निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए विचार करना चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए ताकि परीक्षकों और संवीक्षकों की सभी संभावित त्रुटियों को कम किया जा सके।

64. इस निर्णय से अलग होने से पहले, यह न्यायालय यह भी मानना उचित समझता है कि प्रत्यर्थी-आयोग को सार्वजनिक रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करते समय संवैधानिक और न्यायिक जनादेशों के साथ-साथ दिए गए निर्णयों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देश की न्यायालय, विशेष रूप से, माननीय उच्चतम न्यायालय के अतीत, वर्तमान और भविष्य के निर्णयों और आदेशों को, आने वाले सभी समयों में, साथ ही अपने स्वयं के ज्ञान और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करती हैं, ताकि प्रत्यर्थी -आयोग को राज्य और उसके पदाधिकारियों के साथ अनुचित मुकदमों में नहीं घसीटा जा सकता है, जो निश्चित रूप से, दूसरों के बीच, उनका कीमती समय और संसाधन बर्बाद करते हैं। इसके अलावा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इस तरह की भर्ती प्रक्रिया शिक्षक के पद से संबंधित है, जो न केवल संबंधित उम्मीदवारों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए, बल्कि प्रत्यर्थी-आयोग के

लिए भी एक प्रतिष्ठित पद है।

65. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, वर्तमान रिट याचिकाओं का प्रत्यर्थी-राजस्थान लोक सेवा आयोग को नए सिरे से एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश के साथ निपटाया जाता है, जिसमें सदस्यों के अलावा तीन या अधिक सदस्य शामिल हों, जो प्रश्नगत भर्ती से संबंधित पिछली विशेषज्ञ समिति में सदस्य बने हुए हैं। उक्त समिति उन प्रश्नों के सही उत्तरों की फिर से जांच करेगी, जिनसे संबंधित, पिछले पैराग्राफ में, इस न्यायालय ने कहा है, "इसलिए, इस प्रश्न के सही उत्तर की विशेषज्ञों द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए"। ऐसी नई विशेषज्ञ समिति का गठन आज से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसरण में, प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति, प्रश्नों/उत्तरों की सत्यता के संबंध में, प्रत्यर्थी-आयोग द्वारा इसके गठन की तारीख से चौदह दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो कि इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय में, जैसाकि ऊपर बताया गया है, 'स्पष्ट रूप से गलत' पाया गया है। दोहराने के लिए, इस न्यायालय ने, इस निर्णय से, उन याचिकाकर्तागण को कोई राहत नहीं दी है, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे इस न्यायालय से संपर्क किया है, यहां तक कि पहले की उत्तर-कुंजी के संबंध में कोई आपत्ति भी नहीं उठाई है, जो वे नहीं कर सकते। अब, इस विलंबित चरण में, जैसाकि यहां पहले ही देखा जा चुका है। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संबंधित भर्ती का अगला चरण इस निर्णय का अनुपालन करने के बाद ही किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्णय के बाद, दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, इस न्यायालय द्वारा किसी भी अन्य आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी) न्यायमूर्ति

Skant/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका

उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।